रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 1997 (वैशाख 20, 1919)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 1997 (VAISAKHA 20, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

(पर्यवेक्षण विभाग)

मुम्बई-400005, दिनांक 26 मार्च 1997

सं. 589/08.21.002/96—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में निम्नलिखित को उक्त बैंक की अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक के लिए नियुक्त किया है :—

(1) मैसर्स भट्टाचार्य दास एण्ड कं., कलकत्ता

(2) मैसर्स खिमजी कुंवरजी एण्ड कं., मुम्बई

(3) मैसर्स पी. के. चोपड़ा एण्ड कं., नयी दिल्ली

(4) मैसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेश्वरन, मद्रास

(5) मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कं., मुम्बई

(6) मैसर्स लूनकर एण्ड कं., मुम्बई

(7) मैसर्स के. के. सोनी एण्ड कं., नयी दिल्ली

(8) मैसर्स आर. सिंधी एण्ड कं., कलकत्ता

(9) मैसर्स मुकुंद एम. चितले एण्ड कं., मुम्बई

(10) मैसर्स बंसल सिन्हा एण्ड कं., नयी दिल्ली

(11) मैसर्स खन्ना एण्ड कं., नयी दिल्ली

(12) मैसर्स पी. टी. विजयराघवन एण्ड कं., मद्रास

(13) मैसर्स रघुनाथ राय एण्ड कं., नयी दिल्ली

एस. रंगराजन
कार्यपालक निदेशक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुम्बई- 400005, दिनांक 2 अप्रैल 1997

सं. आइबीएस. 1685/23.13.089/96-97—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल कर लिया जाए :—

"दि कमर्शियल बैंक आफ कोरिया, लिमिटेड"

जे. आर. प्रभु
कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 10 मई, 1997

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1996 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 के अधिसूचना सं० एफ (8)/70/बी/5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में फरवरी 1997 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची की गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञप्ति की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियों की गयी है कोचिंग ग्राहकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुम्बई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
		9 प्रतिशत राहत पत्र 1987 (नई दिल्ली सर्कल)			
बी एच 003895 से बी एच 003902	रु० 40,00,000	अवतार मोहन सिंह तथा भाई मोहन सिंह	कोई ब्याज देय नहीं	अवतार मोहन सिंह तथा भाई मोहन सिंह	12-3-96 एल० एम० 2/96
		राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बांड 1980 'अ' श्रेणी			
बी एच-000776	81 ग्राम स्वर्ण	अजित सिंह	16-12-65 के बाद से	अजित सिंह का मुख्त्यारनामाधारक लहम्बर सिंह पुत्र श्री गिज्जन सिंह	8-2-97 स० न० 9-96

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
		9 प्रतिशत राहत पत्र 1987 (नई दिल्ली सर्कल			
बी एच 003347	रु० 65,000	[illegible] तथा अमरनाथ वाही	कोई ब्याज दिया नहीं	अमरनाथ वाही	27-1-97 एल० एम० 1/97

1	2	3	4	5	6
		सरकारी खजाना बिल (मुम्बई सर्कल)			
जी-024744	75,00,000/-	भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह लि० के नाम में और बरेली कारपोरेशन बैंक के नाम पृष्टांकित	लागू नहीं	बरेली कारपोरेशन बैंक लि० द्वारा दावा किये गये विमोचन मूल्य का भुगतान	लागू नहीं
		3 प्रतिशत कन्वर्सन लोन 1946, (कलकत्ता) सर्कल			
सीए-315090	रु० 5000/-	मनी मोहन प्रामाणिक (मृत)	64वां तक का प्र० वा० ब्याज अदा किया गया	हेमन्त कुमार	फाइल सं० I-2503 दि० 12-12-96 का महाप्रबंधक का आदेश दि० 1-1-97 का डी वाई सं० एल० सी० ओ० 127-96-97 देखिए

वि० डी० कोहाम
कृते मुख्य महा प्रबंधक

बैंक आफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा, दिनांक 3 फरवरी 1997

सं. एचओ/ओएसआर एवं आई आर/ए/5/14/504—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक आफ बड़ौदा का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) ये विनियम बैंक आफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 कहलाएंगे ।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधितानुसार, ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में, विनियम 19 के उप विनियम (1) के पूर्व प्रावधान को निम्नलिखित के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है :

"परन्तु बैंक अपने विवेक से आगे उप विनियम (2) में की गई व्यवस्था के अनुसार विशेष समिति/समितियों द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए, तो किसी अधिकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर या उसके बाद किसी भी समय अथवा अधिकारी कर्मचारी के रूप में या अन्यथा उसके 30 वर्ष की सेवा पूरी करने या उसके बाद किसी भी समय, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा निवृत्त कर सकता है" ।

के. के. दास
महाप्रबंधक (मा. सं. प्र.)

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया

कार्मिक प्रशासन (अधिकारी कर्मचारी) प्रभाग

कलकत्ता-700001, दिनांक 1 अप्रैल 1997

सं. 1/97—यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया का निदेशक-मंडल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रभावी होंगे ।

2. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में, धारा 19 के उप-विनियम

(1) के प्रथम परन्तुक के लिए निम्नोक्त खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :—

"परन्तु बैंक चाहे तो अपने विवेकानुसार, विशेष समिति/विशेष समितियाँ जैसा कि अन्तःपर उप-विनियम (2) में प्रदत्त है, द्वारा समीक्षा करके, यदि जन-हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए तो, किसी अधिकारी-कर्मचारी को उसकी आयु के 55 वर्ष पूर्ण होने पर या पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी समय अथवा एक अधिकारी-कर्मचारी के रूप में उसकी कुल सेवा के 30 वर्ष पूर्ण होने पर या पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी समय अथवा अन्यथा, जो भी पहले हो, सेवा-निवृत्त कर सकता है।"

डी. भट्टाचार्य
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1997

सं. यू-16(53)1/94-चि.-2 (केरल)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत् महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा निर्धारित केरल क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

क्र० सं०	डाक्टर का नाम	क्षेत्र का नाम	कार्यालय
1.	डा० जोसफ एडाथिल,	कोलम	29-12-96 से 28-12-97
2.	डा० वी० आर० राजय्या,	एलपी व कोटाययम	29-12-96 से 28-12-97
3.	डा० ए० एन० राधाकृष्णन,	एरनाकुलम	17-12-96 से 16-12-97

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

दिनांक 17 मार्च 1997

सं. यू-16/53/88-चि. 2 (गुज.)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम, 105 के तहत् महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा डा. आर. बी. व्यास, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी, सूरत क्षेत्र, अहमदाबाद को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 25-3-1997 से 24-3-1998 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर पश्चिम जोन) द्वारा निर्धारित सूरत क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

दिनांक 19 मार्च 1997

सं. यू-16/53/93-चि. 2 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत् महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा डा. डी. एम. आलसा, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी, बड़ौदा की चिकित्सा प्राधिकारी बड़ौदा क्षेत्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम क्षेत्र) द्वारा निश्चित किए गए क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए 3-5-1997 से 2-5-1998 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, प्राधिकृत करता हूं।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

दिनांक 2 अप्रैल 1997

विषय : क्षेत्रीय बोर्ड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जम्मू और कश्मीर के "अध्यक्ष" का परिवर्तन।

सं. बी-33(13)-20/89-स्था.-4—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-10 (1) (क) के अधीन राज्यपाल के सलाहकार, जम्मू और कश्मीर सरकार के स्थान पर राज्य के माननीय श्रम, सामाजिक कल्याण और रोजगार मंत्री को क्षेत्रीय बोर्ड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते हैं।

अतः अब, निगम की अधिसूचना संख्या बी-33 (13)-20/89-स्था-4 दिनांक 6-4-1995 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम संख्या 1 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

वर्तमान व्यवस्था

राज्यपाल के सलाहकार, (आर के एस)
जम्मू और कश्मीर सरकार

अध्यक्ष

प्रस्तावित व्यवस्था

माननीय राज्य श्रम, सामाजिक
कल्याण और रोजगार मंत्री, जम्मू
और कश्मीर सरकार

अध्यक्ष

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1997

सं. एन. 15/13/14/4/96-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम—1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम—1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-3-1997 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिल नाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम—1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिल नाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे । अर्थात् :—

"जिला पसुम्पोन मुत्तुरामलिंगम के मानामदुरै तालुक में राजस्व ग्राम लट्टाकुलम, कालुगारकीडाई, तिरुप्पुवनम और उसके अधीन छोटा गांव नेलमुडीकराई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एल. के. पटनायक
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 1 अप्रैल 1997

सं. एन-15/13/14/2/96-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम—1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम—1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-3-1997 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम—95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे । अर्थात् :—

"जिला कोयम्बतूर के पोलाची तालुक में राजस्व ग्राम सामत्तूर, रामपट्टीनम, मरिचिन्नायक्कन पालयम, कुसिल्लारण पट्टी, कोट्टाम पट्टी (अंशिक), अच्चारम पालयम्, नाडुप्पालयम, अय्यम्पालयम, थान्दवीरक्कन पालयम और उन्जावेलम्पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एल. के. पटनायक
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/1/2/96-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-3-1997 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे । अर्थात :

"जिला चित्तूर के चित्तूर मंडल में राजस्व ग्राम रेड्डीगुन्टा की सीमाओं और गंगाधर नेलौर मंडल में राजस्व ग्राम पेडाकलवा सहित ग्राम सुन्दर राजापुरम और ईलाम राजूपाले के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

एल. के. पटनायक, संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली—110066, दिनांक 31 मार्च 1997

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) केरल (1391)/96/967-15—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	
1.	केरल/केसी/13252	मै० कैथोलिक यूनियन चिटिस लि० माला, पी ओ-680732, मकुन्दा विलेज, मुकुन्दपुरम तालुक, त्रिचूर	1-9-90

	2	3	4
2.	केरल/के सी/13638	मैं० एम्बामी फॉर्मेस एन्टरप्राईजिज पी ओ लिंक रोड एरनाकुलम कोचिन-31	1-8-93
3.	केरल/के सी/13680	मैं० पंकज सोप व डिटर्जेन्टस, पंकज कम्पाउन्ड 18/37 पालुरुथी रोड कोचिन-5	1-4-92
4.	केरल/के सी/13826	मैं० ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग व कम्प्यूटर सैंटर मुवथुपुजा पी ओ मुवथुपुजा तालुक एरनाकुलम डि०	1-9- 94
5.	केरल/के सी/13838	मैं० इम्पीरियल इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी 40/7074 राजाजी रोड, एरनाकुलम कोचीन-682035	1-10-94
6.	केरल/के सी/13867	मैं० यसोराम कनकरीट (प्रा०) लि० कान्वेन्ट रोड एरनाकुलम कोचीन-35	1-1-95
7.	केरल/के सी/13981	मैं० वाटर वेस मुत्तामंमियम रोड विलिंगटन आइसलैंड कोचीन-3	1-4-93
8.	केरल/के सी/15026	मैं० मेटेक्स पोलीमरस वेलेपमा त्रिचूर-680596	1-6-95

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) महा० (1400)/96/976-85—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	महा०/40265	मैं० कला मन्दिर, मैराइन चेम्बरस, 1 मैराइन स्ट्रीट, मुम्बई—400020।	1-4-94
2.	महा०/नागपुर/61285	मैं० कामिनी एन्टरप्राईजिज, 19-ए, सैंट्रल एवन्यु, नियर रैपिड ट्रांसपोर्ट, गांधीबाग, नागपुर—12।	1-8-94
3.	महा०/41016	मैं० माइक्रोटैक कम्प्यूटर सर्विसज प्रा० लि०, सी/122, अंसा इंड० इस्टेट, साकी विहार रोड, अंधेरी-(ई), मुम्बई—400072।	1-4-95

1	2	3	4
4.	महा०/39395	मै० फेवी इंजीनियर्स, बी–92, विकास फिनले शावरम, जी अम्बेडकर रोड, परेल, मुम्बई—400033 ।	1–7–93
5.	महा०/नागपुर/60519	मै० डोणगांव विविध कार्यकारी सहकारी संस्था लि०, मेहकार रोड, जि० बुलढाना ।	1–9–91
6.	महा०/41489	मै० बुद्धराजा आर्ट प्रिन्टरस, 87 सी, संजय बिल्डिंग, नं० 5, मित्तल इस्टेट, ए० के० रोड, ... मुम्बई—400039 ।	30–9–95
7.	महा०/पी०एन०/31320	मै० भारती प्रिंटिंग प्रेस, भारती विद्यापीठ कैम्पस, एरंडवने, पुने—411038 ।	1–8–92
8.	महा०/पी०एन०/30696	मै० प्रवीन एन्टरप्राईजिस, 73/5, एल० आई० जी० कालोनी, सैक्टर—25, निगाडी, पुने—411044 ।	1–1–91

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1(4) केरल (1401)/96/986–94—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	केरल/के०के०/14332	मै० सौभाग्य, हास्पीटल रोड, थालेसरी, ।	1–5–96
2.	केरल/के०के–/14333	मै० सौन्दर्य साड़ी को रूम, हास्पीटल रोड, थालेसरी ।	1–5–95

1	2	3	4
3.	केरल/कि०जे०/14334	मै० सुमिश बस ट्रांसपोर्ट, के एल/13–9471, कालामुंडा, पी० ओ० कोडाली, कन्नोर ता०, कन्नोर जि० ।	1–4–95
4.	केरल/कि०सी०/13017	मै० स्कूल आफ एयरलाईंस व ट्रैवल मैनेजमेंट, वारियम रोड, एरनाकुलम, कोचीन—682016 केरल, इंडिया ।	1–7–95
5.	केरल/कि०सी०/15029	मै० देवला बार व रैस्टोरेंट, ओलूर, त्रिचूर ।	1–6–95
6.	केरल/के०सी०/15059	मै० कनकारज इंटरनेशनल, एच० आई० जी०–9, पानमपिल्ली नगर, कोच्चि–36 ।	31–8–95
7.	केरल/कि०सी०/13410	मै० श्री कार्तिक एजेंसीज, नं०–XI/101–ए, पथीचिरिल गार्डन्स, एस० कालामासेरी, कोचीन–22 ।	1–4–91
8.	केरल/12628	मै० एक्स–आर्मी ईस० सिक्योरिटी, विनोद निवास, वेलियाकोड पी० ओ० त्रिवेन्द्रम–695512 ।	1–12–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

का० आ० भ० नि० आ० 1(4) महा० (1404)/96/998–1009—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	महा०/90432	मै० हीरा इंडस्ट्रीज, सिवर अग्रवाल इंड० इस्टेट, अलीवर–सातिवली रोड, वलीव वसई (इ) जि०, थाने—401208 ।	1–4–94
2.	महा०/90511	मै० रजनीकान्त केशवलाल व संस, 1–4, महावक्ति अपार्टमेंट वसई, वसई (वैस्ट) थाने–401202 ।	31–3–95

3.	महा०/41298	मैं० मेटा शिपिंग एजेंसी, कलकत्ता वाला बिल्डिंग, 2राफ्लोर, 137/41, सैमुअल स्ट्रीट, मुम्बई—400009 ।	1-7-95
4.	महा०/नागपुर/61448	मैं० स्टेट बैंक आफ इंडिया, एम्प्लाईज को-आप० क्रेडिट सोसा० लि०, किंग्सवे, नागपुर—440001 ।	1-2-95
5.	महा०/नागपुर/60427	मैं० जीजा माता सहकारी होल सेल व रिटेल कन्ज्यूमर्स स्टोर्स, शंकर नगर, दुसरबी जि० बुलदाना ।	1-1-91
6.	महा०/पी०एन० /31087	मैं० भक्ति अपेरेल, 94/26, जोधबाई पेट, सोलापुर—2 ।	31-12-91
7.	महा०/40468	मैं० बंकिम मेहता, 101, वीना चैम्बर्स, 21, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई—400001 ।	1-4-94
8.	महा०/40713	मैं० एलाइंसबिजनेस क्रेडिट लि०, 148, अटलांटा, 14वीं फ्लोर, 209, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई—400021 ।	1-2-95

अतः मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करता हूं जो स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) महा० (1410)/96/1004-12—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/41333	मैं० शटर्स एडवरटाइजिंग सर्विसिज डी—11, एवरेस्ट बिल्डिंग, 156, तारदेव रोड, मुम्बई—400034	31-8-95
2.	महा०/41293	मैं० चानक्य इंटरनेशनल प्रा० लि० 218/219, जयवन्त इन्डस्ट्रियल इस्टेट, 63, तारदेव रोड, मुम्बई—400034	1-4-95
3.	महा०/41296	मैं० हिन्दुस्तान डोमेस्टिक आयल व गैस कं० (मुम्बई) लि० एच—11, 9वीं मंजिल, एवरेस्ट बिल्डिंग, 156, तारदेव रोड, मुम्बई—400034	1-7-95
4.	महा०/41288	मैं० पैनेक फैशन्स, द्वारा बोम्बे टैक्सटाइल मिल्स, सर्वोदय मिल्स कम्पाउन्ड, तारदेव, मुम्बई—400034	1-8-95

5.	महा०/41375	मै० हारमैन इन्सलेशन इंजीनियर्स 41, हारबर क्रेस्ट बिल्डिंग, ग्राउन्ड फ्लोर, तुलसीवाडी, मझगांव, मुम्बई–400010	10–11–94
6.	महा०/गोआ/10491	मै० इस्माइल जुसाब विरानी 19, म्युनिसिपल मार्किट, मापुसा, गोआ–403507 (इंडिया)	1–3–95
7.	महा०/गोआ/10466	मै० विरानी एन्टरप्राइजिस अपो० म्युनिसिपल मार्किट, मापुसा, गोआ–403507	1–3–95
8.	महा०/पी एन/31496	मै० पीडर व पीडर टाइटस लि० जी० नं० 297/1, 2 इन्डस्ट्रियल एरिया अपो० आफ पूणे, सोलापर रोड, विलेज, नन्दूर तालुक डांड, पूणे–412202	1–10–95

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी, प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) महा० (1412)/96/1013/20—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं को लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/39606	मै० ए० सी० चोकसी, 57–ए, 3रा फ्लोर, भूपेन चैम्बर, 9 दलाल स्ट्रीट, मुम्बई–400023	1–8–93
2.	महा०/40046	मै० बराई आर्किटक्चुरल व इंडस्ट्रियल कन्सलटेंटस (प्रा०) लि० लन्टिन चैम्बरस, 36 दलाल स्ट्रीट, मुम्बई–400023	1–4–94
3.	महा०/40332	मै० एस० एम० बी० ट्रवल कारपोरेशन 7, तुलसमानी चेम्बरस, 212 नारीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021	1–4–94
4.	महा०/40475	मै० पोजीटिव पकेजिंग इंड० (प्रा०) लि० 98, आली मेकर चैम्बरस नं० 2, 225, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021	1–8–94
5.	महा०/40017	मै० एस० आई० एस० क्रेडिट कैपीटल प्रा० लि० 101, वालामल टावरस, 1ला फ्लोर, "बी" विंग नारीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021	20–1–95
6.	महा०/41545	मै० चेरी फैशन्स लि० एन बी/13, सोना उद्योग इस्टेट, पार्ट पंचायत रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई–400069	1–7–95
7.	महा०/41341	मै० खंडेवाला शेयर व स्टाक ब्रोकर्स 5–डी, ककड हाउस 11, न्यू मैराइन लाइन्स, मुम्बई–400020	1–7–95

अत: मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० एस० कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० प्रा० 1 (4) महा० (1421)/96/102127—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/41300	मै० गलैनकोर इंडिया प्रा० लि० 908, मेंकर चैम्बर–5, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021	1–4–95
2.	महा०/41305	मै० गबामा फैशन्स प्रा० लि० 4व ए/बी–29, भूलाभाई देसाई रोड़, तिरुपति शापिंग सेंटर, मुम्बई–400026	1–8–95
3.	महा०/41645	मै० इण्डस्ट्रियल गार्डनिंग व हाउस कीपिंग सर्विस, 62/2, वल्लभ बाग लेन एक्स० अपो० बिल्डिंग नं० 148 पन्त नगर, घाटकोपर (ई) मुम्बई–400086	1–12–95
4.	महा०/41710	मै० डैकोरामिक्स 160, बीमा टालमई इं० इस्टेट, ओशीवारा, एम० बी० रोड़, जोगेश्वरी (वे) मुम्बई–400102	1–1–96
5.	महा०/41721	मै० एच० जे० क्लीवरस, यूनिट नं० 118, कीटो इं० इस्टेट, 220, कोंडीविटा रोड़, अंधेरी (ई) मुम्बई–400159	1–1–96
6.	महा०/केपी/29911	मै० श्री अम्बिका नागरी सहकारी पत संस्था लि० एट पोस्ट वांगी ता० खानापुर जि० (सांगली)	1–2–96
7.	महा०/केपी/29910	मै० हिखड़े खालसा विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था मर्यादित हिखड़े, खालसा ता० करवीर, जि० कोल्हापुर	1–1–96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० प्रा० 1 (4) महा० (1422)/96/1028–35—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	महा०/41484	मै० कार्गो सर्विस सेंटर (इंडिया) प्रा० लि०, 503, अटलांटा टावरस साहर रोड़, अंधेरी (ई) मुम्बई–400099	1–6–95
2.	महा०/41547	मै० एटलस कन्सलटेंसी सर्विसेज, 202, दामजी शामजी उद्योग भवन, वीरा देसाई रोड़, अंधेरी (वे) मुम्बई–400053	1–1–96
3.	महा०/41026	मै० स्विफ्ट फिनलीज (इंडिया) लि० 101, नीलकंठ कमर्शियल सेंटर, साहर रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400099	1–4–95

1	2	3	4
4.	महा०/41160	मै० फिनशो मैटेची कारपोरेशन, ब्लाक नं० 113, 11वां फ्लोर, "मेकर चैम्बर 6, नारीमन प्वाइंट मुम्बई-400021	1-4-95
5.	महा०/40597	मै० नोयेल एग्रीटैक लि० सी-10, डालिया इंडस्ट्रीयल इस्टेट, आफ न्यू लिंक रोड़, अंधेरी (वै) मुम्बई-400058	1-4-94
6.	महा०/41643	मै० एल जी टेलीविजन प्रा० लि० 603, जय अम्बा न्यू जुहू वरसोवा, लिंक रोड़ अंधेरी (वै), मुम्बई-400058	1-6-95
7.	महा०/41398	मै० एम० बी० क्राफ्टस, यूनिट नं० 227, केटू इंड० इस्टेट, 220 कोंडीविटा रोड़, अंधेरी (ई०) मुम्बई-400059	1-6-95
8.	महा०/39422	मै० कनकारड इलीवेटर प्रा० लि० प्रोसपैक्ट चैम्बर, एनेक्स, डा० डी० एन० रोड़, फोर्ट, मुम्बई-400001	1-4-93

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1 (4) महा० (1426)/96/1036-44—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/केपी/29915	मे० होटल रजत पैलेस, 174, भवानी पेठ, पलेस, स्ट्रीट, डि० सतारा	1-8-95
2.	महा०/केपी/29919	म० श्री महादेव सहकारी फनी पूर्वथा संस्था लि० जूनेखेद, ता० वालवा, डि० 5-सांगली	1-9-95
3.	महा०/केपी/29913	मै० श्री भवेशवरी सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित, हिडदुगी, ता० गडहिंगलज, डि० कोल्हापुर	1-2-96
4.	महा०/के पी/29925	मै० श्री वारना सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था, मर्यादित वनाकी, ता० हतकंगाल डि० कोल्हापुर	1-2-96
5.	महा०/के पी/29912	मै० अल्पसंख्यक नागरी सहकारी पत बिगार गैती पत संस्था मर्यादित जयसिंहपुर, ता० शिरोले, डि० कोल्हापुर	1-2-96
6.	महा०/37091	मै० पेग कन्सलटटस व इंजीनियर्स (प्रा०) लि०, 208, दामजी, शामजी उद्योग भवन, वीरा देसाई रोड़, अंधेरी (प) मुम्बई-400058	1-8-90
7.	महा०/41726	मै० महाराष्ट्र ट्रक आलरस एसो० 210, 2रा फ्लोर, ट्रेपीनेक्स हाउस, 15, कोवापुर स्ट्रीट, मुम्बई-400009	1-4-95
8.	महा०/41754	मै० मित्रसुवा सिस्टम्स 34, एच, लक्ष्मी इंड० इस्टेट, न्यू लिंक रोड़, अंधेरी (प०) मुम्बई-400053	1-12-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) महा० (1437)/96/1045-53—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जावें :—

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/41451	मै० इंटरनेशनल एक्सपोर्टस 14, सीपज एस आई डी सी, मारोल, अंधेरी (ई०), मुम्बई-400093	1-10-94
2.	महा०/41492	मैं० कोलमोर्गेन टंडन (इंडिया), 2, एस० डी० एफ० 1, सीपज, अंधेरी (ई), मुम्बई-400096	1-9-93
3.	महा०/41045	मै० न्यू सातारा जिला नागरिक सहकारी पत संस्था लि०, बी-1, प्रोग्रेसिव बिल्डिंग डा० कम्पाउंड, चिन्चपोकली, (ई०); मुम्बई-400012	1-1-93
4	महा०/39855	मैं० जगलोक हास्पीटल व रिसर्च सेंटर, एम्पलाईज को-आप० क्रेडिट सोसा० लि०, 15, डा० जी० देशमुख मार्ग, मुम्बई-400026	1-1-93
5.	महा०/40924	मै० हाजीअली टी० शाप, हाजीअली दरगाह, कम्पाउंड, हाजीअली, मुम्बई-400026	1-2-93
6.	महा०/41238	मैं० स्पार्कलिंग ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग लि० जी-37, सीपज जैम व ज्वैलरी काम्प्लैक्स-3, अंधेरी (ई) मुम्बई-400096 (इंडिया)	1-1-93
7.	महा०/39730	मैं० प्रामुमा प्रांट प्रिंटर्स 354/ए-1, शाहू व नाहूर इंड० इस्टेट, धनराज मिल कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013	1-4-93
8.	महा०/नागपुर/61361	मैं० सुरेका मायस मिल जगदम्बा रोड़, खामगांव-444303	1-11-94

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) केरल (1441)/96/1054-61—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जावें।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केरल/केसी/13918	मै० नारस्पैक फायबर प्लास्टिकस (प्रा०) लि०, प्लाट नं० 2, कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कक्कानाड, कोचीन–682030	1-4-94
2.	केरल/के सी/13978	मै० कोट्टायम ड्रग हाउस, मनोरमा जंक्शन, के० के० रोड, कोट्टायाम–686001	1-6-95
3.	केरल/के के/14434	मै० पिन्नाराई कोकोनट प्रोसेसर्स को०-आप० सोसा० लि०, नं० एफ-1336, पी ओ पिन्नराई कन्नूर डि० थालेसरी–670741	1-11-95
4.	केरल/के के; 14398	मै० पार्वती बस सर्विस चक्कलास सवेरा पी ओ माथनचेरी–670613 कन्नानूर डि०	1-7-95
5.	केरल/के सी/13974	मै० एडजिस कम्यूनिकेशन्स (प्रा०) लि०, एक्स एल/437, 3रा फ्लोर, चाम्प्रिका बिल्डिंग्स एम० जी० रोड, कोचीन–11	1-4-95
6.	केरल/12830	मै० एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी सर्विस, रजि० नं० 197/95, ज्योतिनिलयम मोटामुल्ला, वीरनकावू, पी ओ कट्टाकाडा, त्रिवेन्द्रापुरम–695572	1-4-95
7.	केरल/के सी/15010	मै० पापुलर एजेंसीज कंनजानी रोड, अयानथोल, त्रिचूर–3	1-6-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० प्रा० 1 (4) केरल (1446) 96/1062–67—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केरल/के के/14274	मै० सोफिया ट्रैवल्स (प्रा०) लि०, मैन्युलसस टावर्स, जी० एच० रोड, कालीकट–673001	1-1-95
2.	केरल/के सी/13832	मै० बलेज कुरीज व सोन्स (प्रा०) लि० इरिंजालाकुडा–680121, त्रिचूर	1-12-94
3.	केरल/12829	मै० टैक्नोमिक मार्किटिंग सर्विसेज प्रा० लि० गीथ, 5/2569 (2) पट्टिनमुडु, संस्थामंगलम त्रिवेन्द्रम–695010	1-4-95
4.	केरल/12832	मै० ट्रियेडिन गार्डस, बिल्डिंग नं० एन सी/1233, ई० एस्टेट, पी ओ पत्तनामथोड, त्रिवेन्द्रम ता० व डि०	1-10-95
5.	केरल/12831	मै० श्री सत्य साई इंगलिश मिडियम स्कूल श्री सत्य साई एजुकेशन सोसायटी वेलानाड–695543	1-8-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०आ०1(4)महा० (1430)/96/1068-76—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाएं :—

क्र०सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	महा०/40765	मै० जे० आर० इंडस्ट्रीज, 212, टी०वी० इंडस्ट्री० इस्टेट, 2रा फ्लोर, प्लाट सं० 248-ए, 52 एस० के० आहीर मार्ग, वोरली, मुम्बई–400025.	1–4–98
2.	महा०/के०पी०/29932	मै० अशोक नागरी सहकारी पत संस्था मर्यादित, तसगांव, गव्हाणपेठ, जि० सांगली ।	1–1–96
3.	महा०/गोआ/10519	मै० प्रभु इलैक्ट्रिकल्स व संस (प्रा०) लि०, 305, महालक्ष्मी चैम्बरस, डा० शीरगांवकर रोड, नियर सरस्वती मन्दिर, पो० ओ० बाक्स सं० 57, पनजी, गोआ–403001.	1–9–95
4.	महा०/41665	मै० रूपवानी व एसोसिएट्स (इंजीनियर्स) प्रा० लि प्लोट बिल्डिंग, मारोल नाका सर एम० वी० रोड अंधेरी (ई०), मुम्बई–400059	1–1–96
5.	महा०/41674	मै० सुर स्टाइल ज्वैलरी (प्रा०) लि०, जी–42, जैम व ज्वैलरी काम्पलेक्स, III सीपज, अंधेरी (ई०), मुम्बई–400096	1–3–96
6.	महा०/41806	मै० हिलटाप मार्किटंग व डिस्टिरीब्यूटर्स (प्रा०) लि०, गिरनर काम्पलेक्स, कुरेशी नगर कुरला (ई०), मुम्बई–400070.	
7.	महा०/के०पी०/29930	मै० विक्रांत इंजीनियर्स, डब्ल्यू–19, एम० आई० डी० सी० इंड० इस्टेट, शिरोली, कोल्हापुर–416122.	1–3–95
8.	महा०/38?70	मै० मेकर चैम्बर्स–5, प्रीमिसिस को–आप० सोसा०, मेकर चैम्बर–5, प्लाट नं० 221, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021.	1–2–92

अतः मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस अधिनियम को प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० एस० कौशिक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) के० आर० (1468)/96/1077-85—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	केo आर०/128 51	मै० विजय एन्टरप्राईसिज, जनरल होस्पीटल रोड, तिरुवनन्थापुरम–695037 ।	1–2–96
2.	के०आर०/के०डी०/13947	मै० केमिकल ट्रांसपोर्टस, 12/65, पी० एच० ई० डी० क्वार्टर्स रोड, आलवे, ईरनाकुलम डिस्ट्रीक्ट ।	1–5–95
3.	के०आर०/के०के०/14370	मै० राकेश होस्पीटल कुर्तची–673309, कालीकट डिस्ट्रिक्ट ।	1–7–95
4.	के०आर०/12850	मै० सी०एस० कंसट्रक्शन्स अशोकाल्याम, कुम्मुकुमी, तिरुवानन्दापुरम–695037 ।	1–1–96
5.	के०आर०/के०के०/14432	मै० हरीप्रसाद सिलीकाट, वालिमावालीपिस हाऊस, चेलारी पो० ओ० चेलीमुक्कु, मल्लापुरम–डिस्ट्रीक्ट ।	1–10–95
6.	के०आर०/12784	मै० कैराली इंडस्ट्रीज वेलीयाम पो० ओ० केरलापुरम, कोल्लाम ।	1–9–95
7.	के०आर०/के०के०/14296	मै० पाथिरियाड सर्विस को–आपरेटिव बैंक लि० नं० एफ० 1465, पो० ओ० पाथिरियाड, (वाया) पिनाराची ।	1–4–95
8.	के०आर०/के०के०/14461	मै० कन्नामकाडी वैश्य कोरपोरेशन, मावूर रोड, कालीकट–673004 ।	1–12–95

अतः, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई-400005, दिनांक 31 मार्च 1997

सं. यू टी/डी बी डी एम/एल पी/डी-71-बी/आर217/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 1997 का पेशकश दस्तावेज जिसे कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई मासिक आय योजना 1997 के संबंध में बनाया गया है तथा जिसे कार्यकारी समिति की 13 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया है, इसकी नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए पी कोहली, महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मासिक आय प्लान 1997
पेशकश (आफर) दस्तावेज

20 फरवरी 1997 से 05 अप्रैल 1997 तक पेशकश खुली रहेगी

मासिक आय प्लान 1997 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यू टी आई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 1997 के संबंध में है ।

* प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण की जानकारी हेतु अथवा अनुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश अथवा अनमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य या तो मासिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 5 वर्षों की अवधि के दौरान निवेश की संवृद्धि को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है ।

विशिष्टताएं

यह पांच वर्ष का नियत कालिक प्लान है ।

निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति/अवयस्कों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/कम्पनियों एवं बैंकों सहित निगमित निकायों/विदेशी निगमित निकायों (ओ सी बी)/सेना/नौसेना/वायुसेना/पैरा मिलिट्री निधियों के लिए खुला है ।

ट्रस्ट द्वारा प्लान के सभी पांच वर्षों के लिए 14% प्र. व. की दर से लाभांश (14.93% प्रभावी प्रतिलाभ) दिया जाएगा । लाभांश का भुगतान उत्तर विनांकित मासिक वारण्टों के माध्यम से किया जाएगा । प्लान के उपार्जन पर निर्भर करते हुए अतिरिक्त आय का भुगतान परिपक्वता पर किया जा सकता है ।

मासिक आय विकल्प के अंतर्गत मार्च 1997 तक की अवधि के लिए लाभांश वारंट, सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा । तदुपरांत लाभांश वारंट अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे । यूनिटों पर पूरे वर्ष के लिए आय वितरण प्राप्त करने के लिए निवेशक को उन्हें पूरे वर्ष धारण करना होगा ।

पूंजी वृद्धि विकल्प के अंतर्गत रु. 2000/- परिपक्वता पर कम से कम रु. 4012/- हो जाएंगे ।

दोनों विकल्पों के अंतर्गत एन ए वी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर 1 मई, 2000 से पुनर्खरीद की अनुमति होगी ।

अभिदान के बंद होने के छः माह के भीतर योजना को ओ टी सी ई आई पर सूचीबद्ध कराया जाएगा ।

यह गारण्टी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात यूनिट सममूल्य से नीचे विमोचित नहीं की जाएंगी । समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित शुद्ध आस्ति मूल्य के अनुसार होगी ।

निवेश का एक भाग इक्विटियों में होने से पूंजीवृद्धि की संभावना है ।

लाभांश और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एन आर आई तथा ओ सी बी के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय हैं जहां निवेश निदेशों में विप्रेषण के माध्यम से या एन आर ई खाते को नामे करके अथवा एफ सी एन आर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके किया जाता है ।

पूंजी वृद्धि पूंजीगत अभिलाभ और लाभांश पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल एवं धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ ।

* धारा 54 ई ए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट ।

* निवेशकों का ध्यान आय वितरण, पुनर्खरीद और सूचीबद्धता की विशिष्टताओं की तरफ विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है जिन्हें उपर्युक्त पैराग्राफ में मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है ।

जोखिम के तत्व

* समयपूर्व पुनर्खरीद का कोई आश्वासन नहीं है तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य पर निर्भर होगा ।

*प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों का प्लान के पोर्टफोलियो पर प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है ।

* पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है ।

* मासिक आय प्लान 1997 केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले वे पंशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

* ट्रस्ट 32 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 4 करोड़ 80 लाख से अधिक निवेशकों से लगभग 56,800 करोड़ रुपए की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है । ट्रस्ट द्वारा अब तक आरंभ किए हुए तैंतीस मासिक आय प्लानों का कार्यनिष्पादन पृष्ठ संख्या 19 पर दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

यू टी आई की स्थापना

यू टी आई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी । इसने 1 जनवरी, 1964 से कार्य करना आरम्भ किया ।

यू टी आई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है ।

मंडल के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं । यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है ।

न्यासी मंडल

1. श्री जी. पी. गुप्ता
अध्यक्ष,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट

2. डा. पी. जे. नायक
कार्यपालक न्यासी,
भारतीय ट्रस्ट ।

3. श्री आर. वी. गुप्ता
उप गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक ।

4. श्री एस. एच. खान
अध्यक्ष,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।

5. श्री एन. एस. सेकसरिया
प्रबंध निदेशक,
गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.

6. डा. अरविंद वीरमणि
सलाहकार,
नीति आयोजना,
भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।

7. श्री पी. आर. खन्ना
सनदी लेखाकार ।

8. श्री एन. एम. गोवर्धन
अध्यक्ष,
भारतीय जीवन बीमा निगम ।

9. श्री पी. जी. काकोडकर
अध्यक्ष,
भारतीय स्टेट बैंक ।

10. श्री एन. वाघुल
अध्यक्ष,
आई. सी. आई. सी. आई. लि.

11. श्री रसीद जिलानी
अध्यक्ष,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
पंजाब नेशनल बैंक ।

[मासि]क आय योजना 1997 का ब्यौरा
[एमआई]एस '97]

संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना मासिक आय योजना 1997 [एमआईएस '97] कही जाएगी ।

(2) यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात 1 मई, 1997 [से] 30 अप्रैल, 2002 तक के लिए होगी ।

(3) यूनिटों की बिक्री 20 फरवरी, 1997 से 5 अप्रैल, [19]97 तक 45 दिनों के लिए होगी । तथापि यूनिट ट्रस्ट के [न्यासी] मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय [illegible] या बाजार जैसी परिस्थितियां समाप्त होने पर [illegible] में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक [कार]णों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''स्वीकृति तिथि'' का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) ''अधिनियम'' का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) ''वैकल्पिक आवेदक'' का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो ।

(घ) ''आवेदक'' का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खंड 3 के अंतर्गत आवेदन करता हो ।

(ङ) ''पात्र संस्था'' का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(च) ''सबडिविजन'' का अर्थ ओटीसीईआई पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सबडिविजन किया जाना है ।

(छ) योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में ''सदस्य'' के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों ।

(ज) ''मानसिक विकलांग व्यक्ति'' का अर्थ वह व्यक्ति जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो ।

(झ) ''अनिवासी भारतीय (एनआरआई)'' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है । जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को ''भारतीय मूल का व्यक्ति'' माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो भारत में जन्मा हो/जन्मी हो ।

(ञ) ''जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या'' का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है;

(ट) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्म, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल हैं।

(ठ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(ड) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

(ढ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(ण) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अंतर्गत बना भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(त) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(थ) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अंतर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(द) "ट्रेडिंग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद ओवर द काउन्टर एक्सचेंज आफ इण्डिया (ओटीसीईआई) के जरिए यूनिटों का खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है।

(ध) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(न) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(प) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(फ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिए गए हैं।

(भ) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुलिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में बहुवचन के विपर्यय शामिल हैं। इस योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं. 11 से पृष्ठ सं. 15 में दिए गए हैं।

मासिक आय योजना 1997 [एमआईएस 97] के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 1997 [एमआईपी 97] के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

1. परिभाषाएं

शब्द जो प्लान में परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा।

3. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किए जा सकते हैं।

निवासी

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य दो व्यक्तियों के साथ संयुक्त आधार पर।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल हैं।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति।

(छ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्मित कम्पनी सहित अन्य निगमित निकाय एवं बैंक।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार।

(झ) सेना/नौ सेना/ वायु सेना/पैरामिलिट्री निधियां।

अनिवासी द्वारा पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर;

(क) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य दो व्यक्तियों के साथ संयुक्त आधार पर।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक।

(ग) अनिवासी हिन्दू अविभक्त परिवार।

(घ) अनिवासी कम्पनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जाएंगे।

4. न्यूनतम निवेश राशि :

दोनों विकल्पों मासिक और पूंजी वृद्धि के अंतर्गत आवेदक न्यूनतम रुपए 2000/- के लिए किया जाना चाहिए । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । यदि निवेश रुपए 10/- के गुणकों में नहीं है तो यूनिटों का आबंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा । रुपए 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे ।

5. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि :

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपए होगी । अत्यभिदान, यदि कोई हो, तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा ।

यदि 100 करोड़ रुपए की लक्ष्य राशि का अभिदान न हो तो योजना के अंतर्गत एकत्र की गई संपूर्ण राशि का यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा खाते में देय चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा ।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा ।

6. खर्चों पर सीमा :

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा । योजना के प्रारम्भिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

योग	6.00
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेन्टों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क और अभिरक्षा शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा ।

आरम्भिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

योग	6.00
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
योग	2.25

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरम्भिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर होंगे ।

योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, आरम्भिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परन्तु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(1) प्रथम 100 करोड़ रुपए की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर — 2.25%

(2) अगले 300 करोड़ रुपए की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर — 2.00%

(3) अगले 300 करोड़ रुपए की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर — 1.75%

(4) आस्तियों के शेष पर — 1.50%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, लेखा वर्ष के दौरान प्लान के मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25% से अधिक नहीं होंगे । सेबी (म्यूचुअल फण्ड) अधिनियम, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है । तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाए गए सीमा के भीतर ही होंगे ।

7. भुगतान विधि :

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । यदि आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है ।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिए आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है । उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रुपए 10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रुपए 20/- है । इस तरह, ड्राफ्ट रुपए 9,980/- (रुपए 10,000/- में से रुपए 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है । ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरम्भिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा ।

किन्तु, जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली

हो । लेकिन, आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए । यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो संपूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित राशि से आवेदक को उसके खर्च पर वापस लौटा दी जाएगी ।

(3) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा । इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है :

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट ।

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपए से जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्क कर्ता बैंकों पर आहरित हो ।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा ।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है । यूनिटों में निवेश रुपए में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपए में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो ।

यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विप्रेषण किया जाएगा ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखों द्वारा अदायगी करें ।

(4) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का प्रयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी ।

तथापि भा. रि. बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए. डी. (एम. ए. श्रृंखला) सं. के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरान्त अर्जित संपूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी ।

जबकि इन मामलों में यूटीआई-एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपए में अदायगी करेगा । निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर लाभांश का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें ।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा ।

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबंध समिति का यूनिट खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा । ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा ।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किए गए आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे ।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

8. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी । ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र सदस्य को उनके विकल्प के अनुसार सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र (विपणन योग्य लाट में) जारी करेगा ।

ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम से जारी करेगा । प्रेषित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री को समाप्ति तिथि से हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा ।

9. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) प्लान के आरम्भ होने के तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 मई, 2000 से प्लान के दोनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद आरम्भ होगी । योजना और उसके अंतर्गत बनाए प्लान के अंतर्गत पहले तीन वर्ष के दौरान मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के मामले छोड़कर और पुनर्खरीद नहीं की जाएगी । पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एन ए वी पर (पूर्ववर्ती आधार पर) आधारित होगा और उसे प्लान

के आरम्भ होने की तारीख से छः माह पश्चात् अर्थात् 01-11-1997 को तथा उसके बाद 30-04-2000 तक त्रमासिक आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा । 01-05-2000 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी ।

योजना परिवक्वता पर यह गारन्टी दी जाती है कि पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के सम-मूल्य अर्थात् रुपए 10/- से कम नहीं होगा । तथापि समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारन्टी नहीं होगी तथा पुनर्खरीद मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित होगा ।

इसके अतिरिक्त, निवेश का एक भाग इक्विटी में होने के कारण पूंजी वृद्धि की संभावना है ।

(2) मासिक आय विकल्प :

ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरम्भ होने की तारीख के तीन वर्ष के बाद से यूनिटों की पुनर्खरीद की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद पूर्ववर्ती एन ए वी पर आधारित होगा और प्लान के आरम्भ होने के छः माह के पश्चात् अर्थात् 01-11-97 को तथा उसके पश्चात् 30-01-2000 तक त्रमासिक आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए जारी करेगा । 01-05-2000 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी । पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एन ए वी के 5% से अधिक न हो, की कटौती करने की स्वतंत्रता होगी । पुनर्खरीद, सदस्यता सूचना एवं साधे कागज पर अनुरोध पत्र के साथ जो सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो, एवं अन्य व्यक्ति, जिसका नाम, पेशा और पता दिया गया हो, के साक्ष्य सहित सदस्यता सूचना/विधिवत् उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, प्रभावी होगी । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष रुपए 2000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए । पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह सहित तथा उसके बाद के महीनों के बचे हुए शेष अनभुनाए हुए आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे ।

पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त होने पर भावी महीने के लिए यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारन्ट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे ।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में अपने पास रखे जानेवाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नई सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र और स्वीकृति माह सहित शेष अवधि के लिए आय वितरण वारन्टों का नया सैट जारी किया जाएगा । पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारन्टों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारन्टों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में से घटाकर सदस्य को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा । ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त हो जाने के बाद तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाएगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दायेदार ट्रस्ट होगा ।

(4) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे । वर्ष के किसी भाग के लिए यूनिट रखने वाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिए, जो हमेशा पूर्ण अंग्रेजी कैलेन्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा ।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद यह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और विधा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथा वर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा ।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि हो, करने के बाद पुनः खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान स्वीकृति तिथि के 10 दिन के भीतर (यदि आवेदन सुव्यवस्थित ढंग से हो) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथाविलिखित रीति से किया जाएगा ।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

(7) पूंजी वृद्धि विकल्प :

पूंजी वृद्धि विकल्प के अंतर्गत जारीयूनिटों के मामले में ट्रस्ट और योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 मई, 2000 से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एन ए वी आधार पर होगा । पुनर्खरीद मूल्य परिकल्पित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा ।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष रुपए 2000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए ।

(8) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद राशियों निवेश के स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी :—

(क) जब यूनिट विदेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा/सदस्य की एफ सी एन आर जमाओं की राशियों से या सदस्य के भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी निधियों से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा खरीदे गए हों तो सदस्य को राशियां विदेशी मुद्रा में (विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का वह सदस्य को करना होगा) प्रेषित की जा सकती हैं या सदस्य के भारत स्थित संबंधी के सदस्य के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा

करने के लिए भेजी जा सकती है बशर्ते सदस्य विदेश में रह रहा हो । यदि सदस्य चाहे तो इन राशियों को उसके अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भी भेजा जा सकता है ।

(ख) जब यूनिट सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में रखी निधियों से खरीदे गए हों तो राशियां सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जाएंगी ।

10. यूनिटों की पुनर्खरीद का प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :—

(1) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखों की आंशिक बंदी ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पूंजी बन्द हो ।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में पक्काम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

11. सूचीबद्धता :

अभिदान बंद होने की तारीख से छः माह के भीतर इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट ओ टी सी ई आई पर सूचीबद्ध किए जाएंगे । सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद सेबी (म्यूचुअल फण्ड) अधिनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार ओ टी सी ई आई में सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा ।

12. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र :

ट्रस्ट आवेदक को सदस्य के विकल्प पर सदस्यता सूचना यूनिट प्रमाणपत्र (विधारण योग्य फार्म में) जारी करेगा ।

यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है जबकि सदस्यता सूचना नहीं । हालांकि, निवेशक के प्लान में शामिल होने के संबंध में दोनों समान रूप से वैध साक्ष्य है । निवेशक, आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर निशान लगा करके सदस्यता सूचना या यूनिट प्रमाणपत्र में से कोई एक जारी करने का चयन कर सकते हैं। सामान्यतया, ऐसे निवेशक जो योजना के सूचीबद्ध होने पर स्टॉक बाजारों में लेन-देन करना चाहते हैं वे यूनिट प्रमाण पत्र होने अपना विकल्प दे सकते हैं । तथापि, यदि आवेदन पत्र में कोई वरीयता न दी गई हो तो निवेशक को सदस्यता सूचना भेजी जाएगी ।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं :—

(क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर

या

(ख) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर

13. सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्णीत रूप के अनुसार होगी । जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया गया होगा । जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने को अधिकृत व्यक्ति न रहा हो ।

किन्तु यदि इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह समीचीन समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है । इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे ।

14. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

सदस्यता सूचना

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य द्वारा प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करने और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाए जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

यूनिट प्रमाणपत्र :—

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र की थी । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चोरी हो या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक से स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक :—

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, नष्ट, विरूपित होने, खो जाने, चोरी किए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता ।

(2) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता ।

(3) (फटेफटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाण-पत्र के मामले में), ट्रस्ट को ऐसे फटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता और

(4) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता ।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा ।

(2) इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपए का भुगतान करे । साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार किन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धनराशि या डाक पंजीकरण खर्च सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करेगा ।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत सदस्य को ऐसे नियमों/विशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा तथा ऐसे दस्तावेज निष्पादित करने होंगे जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित/अपेक्षित होंगे ।

15. सदस्यों की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :—

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया ।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा । किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदन के रूप में होनेवाले परिवर्तन की प्रतिलिपि पंजी में तदनुसार की जाएगी ।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कामकाज के समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घन्टे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य द्वारा उसके स्वयं के हित के संबंध में निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

16. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिये किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ग) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है । ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उपविधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

17. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अंतर्गत चले प्लान की यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

18. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिये उपलब्ध है । आवेदक एक व्यक्ति को

नामित कर सकते हैं। अवयस्क तथा अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं। प्लान की अवधि के दौरान आवेदन किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है। तथापि, यह सुविधा यूनिट के अंतरण होने की स्थिति में, किसी अंतरिती को उपलब्ध नहीं है।

(2) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे।

19. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिति को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(4) किसी सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिए पर्याप्त समझे गये साक्ष्य की प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती/विधिक उत्तराधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में जारी रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक को मान्य अर्जदार करेगा, मानो वही आवेदक हो। इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(7) अवरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिये गये ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिति को भुगतान करेगा।

(8) अ-निवासी सदस्य (सदस्यों) की मृत्यु के मामले में यूनिटों की पुनर्खरीद राशि का विप्रेषण अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस/वारिसों को किया जा सकता है बशर्ते

(क) यूनिटें भारत के बाहर से विप्रेषित निधि में से, भारत में अ-निवासी (ई) खाते में धारित निधि में से अथवा एफसीएनआर जमा-राशि में से खरीदी गई हों और

(ख) नामिती भारत के बाहर निवास कर रहा हो/विधिक वारिस भारत के बाहर रहता हो/रहते हों। जहां यूनिटें एनआरओ खातों में धारित निधि से खरीदी गई हों, वहां अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस (वारिसों) के मामले में, पुनर्खरीद राशि भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगी। जहां नामिती नामांकन के समय निवासी था परन्तु बाद में अ-निवासी बन गया हो, ऐसे मामलों के मामले में, राशि के विप्रेषण की विधि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की राय लेनी होगी।

20. आय वितरण एवं पूंजी वृद्धि विकल्प :

सदस्य को मासिक आय या पूंजी वृद्धि में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा। यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव में उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा।

प्लान के अंतर्गत सुनिश्चित प्रतिलाभ एवं परिपक्वता पर निर्धारित पूंजी की सुरक्षा की गारंटी ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि द्वारा दी गई है।

योजना एवं उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधान दोनों विकल्पों के लिए लागू होंगे और जहां प्रावधानों में हेरफेर है, वहां संबंधित ब्यौरे तदनुसार दिए गए हैं।

(1) मासिक आय विकल्प :

इस विकल्प के अंतर्गत, ट्रस्ट 14% प्र. व. की दर से सुनिश्चित लाभांश प्लान के पांचों वर्षों के लिए उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों द्वारा अदा करेगा। निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा निवेशों से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर

योजना की प्लान के अंतर्गत 14% प्रति वर्ष की दर से मासिक रूप से देय लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हुए सकेगी ।

(2) प्रत्येक माह के लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारम्भ में देय होगा और पूर्व भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा ।

ऐसे यूनिट जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या उसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी हो, पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे और जो यूनिट महीने की 15 तारीख के बाद लिये गए हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे ।

लाभांश की हकदारी निम्न रूप से होगी :

20-2-97 से 28-2-97—आधे महीने का लाभांश

1-3-97 से 15-3-97—पूरे महीने का लाभांश

16-3-97 से 31-3-97—आधे महीने का लाभांश

1-4-97 से 5-4-97—पूरे महीने का लाभांश

(3) निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए एक आय वितरण वारन्ट (दिनांकित 31 मार्च, 1997) सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ भेज दिया जाएगा । अप्रैल 97 से जुलाई 97 की अवधि के लिए दूसरा समर्पित आय वितरण वारंट (दिनांकित 1 जून, 1997) अगस्त 1997 से मार्च, 1998 की अवधि हेतु 8 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारंटों के साथ जारी किया जाएगा और अलग से भेजा जाएगा ।

उसके बाद के वर्षों के लिए आय वितरण वारंट, कर-कानूनों में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करते हुए, प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल महीने में जारी किया जाएगा और उसे अग्रिम रूप से भेजा जाएगा । उसके बाद के वर्षों के लिए वारंटों का प्रेषण निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा ।

अवधि	वारंटों का प्रेषण
01-04-1998 से 31-03-1999	मार्च–अप्रैल 1998 तक
01.04-1999 से 31-03-2000	मार्च–अप्रैल 1999 तक
01-04-2000 से 31-03-2001	मार्च–अप्रैल 2000 तक
01-04-2001 से 31-03-2002	मार्च–अप्रैल 2001 तक
01-04-2002 से 30-04-2002	मार्च–अप्रैल 2002 तक

माह मार्च के लिए आय वितरण वारंट पर तारीख प्रत्येक वर्ष 31 मार्च होगी ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबन्धों के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारंट सदस्य को अन्तिम रूप से भेजे जाएंगे।

वारंट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारंट को भुना सके । हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा । वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में अदत्त वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने पर सदस्य अगले महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में शेष वारंटों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद की राशि से काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा नामिती/विधिक उत्तराधिकारी आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारंट वापस करने के लिए बाध्य होगा ।

तथापि, आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती/विधिक उत्तराधिकारी मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नए प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जाए, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी आय वितरण वारंट वापस करने होंगे । लेकिन, ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नए प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या और मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(8) पूंजी वृद्धि विकल्प

इस विकल्प के अन्तर्गत कोई लाभांश वितरित नहीं किया जाएगा । प्रतिलाभ 14.93 प्रतिशत प्र०व० की दर से संचयित किया जाएगा ताकि इस विकल्प के अन्तर्गत निवेशित रु० 2000/- पांच वर्षों के बाद प्रतिदान के समय कम से कम रु० 4012/- हो जाए । तथापि, निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए, मासिक आय विकल्प के अन्तर्गत सदस्यों को लागू सीमा तक, निवेशक को 14 प्रतिशत प्र० व० की दर से 30 अप्रैल, 1997 तक मुआवजा दिया जाएगा और उसे चैक के माध्यम से यूनिट प्रमाणपत्रों/सदस्यता सूचना के साथ भेजा जाएगा ।

प्लान के अन्तर्गत 14 प्रतिशत प्र० व० का प्रतिलाभ उचित ठहराने के लिए उदाहरण

मान लीजिए कि यह योजना 100 करोड़ रुपए एकत्रित करती है। प्रारम्भिक व्यय 3 प्रतिशत है और उन्हें 3 वर्षों की अवधि के पश्चात बट्टे खाते में डाला है (यह इसलिए कि 3 वर्षों के बाद पुनर्खरीद शुरू हो जाती है) पहले वर्ष में उपलब्ध निवेश योग्य निमित निधियां 97 करोड़ रुपए होंगी।

यह निधि 90 प्रतिशत का निवेश ऋण लिखितों में और 10 प्रतिशत का इक्विटी एवं मुद्रा बाजार लिखितों में करेगी। योजना डिबेंचरों बांडों में निवेश करेगी और जोखिम तत्व न्यून से मध्यम रहेगा। इन लिखितों पर परिपक्वता पर लाभ (वाई टी एम) 16.8 प्रतिशत से 19.0 प्रतिशत की श्रेणी में है इसका अर्थ है कि ऋण लिखितों पर भारित औसत प्रतिलाभ 17.75 प्रतिशत होगा।

लाभांश आय, इक्विटी निवेश में वृद्धि/ह्रास और मुद्रा बाजार लिखतों पर लाभ लगभग 8 प्रतिशत रहेगा।

लिखत	पोर्टफोलियो का प्रतिशत	निवेश योग्य निधियां	वाईटीएम प्रतिशत (परिपक्वता पर लाभ)
डिबेंचर/बांड	90	87.30	17.75
इक्विटी/मु० बा० लिखितें	10	9.70	8.00
पोर्टफोलियो का भारित औसत प्रति लाभ			

$=87.3*17.75+9.70*8.0=16.27\%$

100.00

वार्षिक व्यय 1 प्रतिशत लेते हुए, वितरण के लिए उपलब्ध आय 15.27 प्रतिशत होगी। यह 14 प्रतिशत प्र० व० की दर से मासिक आधार पर देय लाभांश और 14.93 प्रतिशत वार्षिकी कुल प्रतिलाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी।

उपरोक्त उदाहरण स्वरूप है और प्लान के आरम्भ होने के समय मौजूद बाजार की स्थितियों पर आधारित है।

निवेशकों का बैंक विवरण :

इलेक्ट्रानिक्स समाशोधन सेवा

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने समाशोधन गृह के जरिए एक नई अवधारणा इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) आरंभ की है जिससे कागज के लिखतों को जारी करने तथा उनको संभालने की आवश्यकता का निराकरण किया जाए और इस प्रकार ग्राहक सेवा में सुधार करके उसे सुविधाजनक बनाया जा सके : ट्रस्ट द्वारा यह मुख्य रूप से चार महानगरों अर्थात कलकत्ता/चेन्नई/मुम्बई/नई दिल्ली में ऐसे निवेशकों की सहायता करने हेतु आरंभ किया गया है जिनकी लाभांश से होने वाली आय एक एकल लिखत के अनुसार रु. 25,000/- से कम है।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक से अपेक्षित है कि वह ईसीएस हेतु अपना अधिदेश आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसमें सभी विवरण पूरा करके प्रस्तुत करें। इससे ट्रस्ट को निवेशक के संबंधित बैंक खाते में लाभांश की राशि अतिशीघ्र जमा करने में सहायता मिलेगी तथा लाभांश वारण्ट के मुद्रण एवं प्रेषण संबंधी कार्य नहीं रहेंगे और वह निवेशकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकेगा। बैंक शाखा सदस्य के खाते में क्रेडिट करेगी तथा पासबुक/खाता विवरण में क्रेडिट प्रविष्टि को ''ईसीएस'' से निर्दिष्ट करेगी। जो आवेदक यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदनपत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और नम्बर 9 अंकों वाला बैंक एवं शाखा कूट संख्या इत्यादि भरें।

यद्यपि इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो ''ईसीएस'' के अंतर्गत लाभांश का भुगतान करने की बजाय ट्रस्ट उपरोक्तानुसार लाभांश वारंट जारी करके लाभांश की अदायगी कर सकता है।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

प्लान के अंतर्गत लाभांश मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। लाभांश के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) वारंट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के एन आरई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो। अथवा

(2) वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके।

मासिक आय योजना 1997 [एमआईएस 97] का दौरा जारी

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार-

में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि में स्टाक एक्सचेंज द्वारा हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है।

(2) उधृत निवेशों और बाण्डों के मामले में, बाजार भाव, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(3) अनोधृत इक्विटी और अधिमान शेयर, जिनमें अवरुद्ध अवधि वाले शेयर शामिल हैं, को लागत पर लिया जाता है।

(4) अनोधृत डिबेंचर, बाण्ड और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं।

(5) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर, लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए कटौती काटकर तथा शेष प्राथमिक मूल्य को कम करके, लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्राथमिक शेष मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां विशेष बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए कटौती काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन उपरोक्त (4) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(7) मुद्रा बाजार लिखतों को वही मूल्य पर लिया जाता है।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाएगा।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार मूल्यांकित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

(10) आस्तियों का मूल्यांकन परिवर्तन के अधीन है तथा समय-समय पर यूटीआई एवं सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन है।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण:

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी को उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना का एनएवी मासिक आय विकल्प और पूंजी वृद्धि विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। प्लान के आरंभ होने के छः माह के बाद अर्थात् 01-11-97 को और उसके बाद मासिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

5. (क) निवेश उद्देश्य

योजना का निवेश उद्देश्य मुख्यतः ग्राहक को नियमित मासिक आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद सामान्यतः निम्न रूप में प्रवेश किया जाएगा :

(1) निधियों का कम से कम 80% नियत आय प्रतिभूतियों एवं मुद्रा बाजार निवेशों में निवेश किया जाएगा। निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा।

(2) निधियों का 20% इक्विटी, इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश किया जाएगा। जोखिम तत्व इक्विटी निवेश में उच्च हो सकता है।

(3) मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश इस संबंध में सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

पूर्वोक्त के बावजूद बाजार की स्थितियों/निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करते हुए निधि प्रबंधक के स्वविवेक के अनुसार निवेश का अनुपात तथा प्लान के दोनों विकल्पों के अंतर्गत संग्रहीत बिक्री का प्लान के अंतर्गत कुल बिक्री से अनुपात घट-बढ़ सकता है। ऊपर बताए गए निवेश उद्देश्यों के अनुसार योजना की निधियों के प्रतिभूतियों में विनियोजन किए जाने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अल्पावधि जमाओं में कर सकता है।

(ख) निवेश नीतियां

(1) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(2) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिए जाएंगे।

(3) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) प्लान की सूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(च) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फण्ड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो ।

(5) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला में लिप्त होना पड़े ।

(6) जब भी निवेश दीर्घावधि प्रकृति के होने वाले हों, ट्रस्ट योजना की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा ।

(7) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को लाभांश अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी । परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी ।

प्लान प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए स्टाक-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हो और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हो । यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी । यह निवेशकों को आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करती है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है ।

(ग) तथापि, ऊपर खण्ड 3, 4 और 5 (ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा ।

(घ) प्लान की गैर-अंतरणीय आस्तियों का अंतरण :

बढ़ती मासिक आय यूनिट योजना 1992 (जीएमआईएस 92) और नई छः वर्षीय मासिक आय यूनिट योजना वार्षिक बोनस और वृद्धि सहित 1990 (एमआईएसजी 90) के निवेशकों (जिनके निवेश 01-04-97 को परिपक्व हो रहे हैं) को अपनी संग्रहण राशि का अपने विकल्प पर इस प्लान में निवेश करने की अनुमति होगी ।

खण्ड 5 (ख) एवं (ग) में किसी बात के बावजूद योजना में ऐसी गैर-अंतरणीय/अदर्जा निर्धारित/असूचीबद्ध आस्तियां, जिनकी बकाया अवरुद्धता अवधि अर्थात् 3 वर्ष से कम है, उस सीमा तक रहेगी जिस सीमा तक निधियां इस प्लान में स्विच-ओवर की जाती हैं और ऐसी आस्तियों की मात्रा किसी भी तरह प्लान में स्विच ओवर की गई निधियों से अधिक नहीं होगी

अंतरण का आधार :

कोई गैर-निष्पादी आस्ति प्लान में अंतरित नहीं की जाएगी।

गैर-अंतरणीय/अनाधृत आस्तियां जो उक्त योजनाओं से इस प्लान में अंतरित की जा सकेंगी, उन्हें स्विच ओवर की गई निधियों की सीमा निर्भर रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा ।

आस्तियों का मूल्यांकन :

अहस्तांतरणीय आस्तियों का मूल्यांकन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार लागत पर किया जाएगा । अन्य आस्तियों का मूल्यांकन योजना के खंड 3 के अनुसार होगा ।

6. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गयी है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकारी वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है । ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिए आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदकों के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा ।

7. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय होंगी :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र (सदस्य सूचना नहीं) परक्राम्य है और जैसा कि इस योजना के प्रावधानों के खण्ड 3 में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है ।

(ख) यूनिटधारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा ।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज और अंतरण माह सहित और तक अनभुनाए गए वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) तथा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे ।

(च) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट धारक समझा जाएगा ।

(छ) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे ।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझे को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे ।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे ।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) अंतरिती को जारी करेंगे ।

(ञ) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे ।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को लाभांश वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा।

8. विकास आरक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है ।

9. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

10. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस निधि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा, अपरीक्षित अर्ध-वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक-तिमाही पोर्टफोलियो विवरण पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हों और जिनका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा । जब योजना की मूल विशेषताओं या देय शुल्क या प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए तीन-चौथाई से अधिक सदस्यों की सहमति ली जाए :

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों ने अपनी सम्मति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचित करने की अनुमति है ।

व्याख्या : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है निवेश उद्देश्य, लाभांश की दर, पुनर्खरीद की सुविधा और सूचीकरण की सुविधा ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) प्लान 30-04-2002 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, सदस्यों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी । निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को

यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(1) प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 अप्रैल, 2002 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथा-निर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अनुसरण में योजना की की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट की योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट --

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । परन्तु यदि योजना परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर समाप्त की जाती है तो बैठक आवश्यक नहीं होगी ।

(च) (1) न्यासी मंडल या योजना के उप-खण्ड (ङ) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (च) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण-पत्र भेजेगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूचुअल फण्ड] विनियम, 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड (12) (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/यथास्थिति रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

(ट) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :

1) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती है ।

(2) जब यूनिटों की खरीद सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता बैंक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा ।

13. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा । इसके अंतर्गत बने

योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

14. उपबंधों में ढील

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

परस्पर वस्तावेज में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

15. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तें के साथ समय-समय पर इनमें किए गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हो ।

16. सदस्यों को लाभ

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपबंधित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

प्लान के सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा :

(1) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, या

(2) प्लान के तीन-चौथाई द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो,

(3) जब न्यासियों ने बहुमत से समापन करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए; या,

(4) जब कोई परिवर्तन योजना के खंड 11 में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और व्यय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए ।

कर मार्गदर्शक

स्रोत पर कर की कटौती

निवासी

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार 194के के अधीन ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के मासिक आय विकल्प के अंतर्गत व्यक्तिगत सदस्यों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो ।

इस प्रकार हिन्दू अविभक्त परिवारों (एचयूएफ) को देय आय से स्रोत पर 15% की दर से कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो ।

अनिवासी

वित्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए को अनिवासी भारतीय द्वारा यूटीआई की किसी भी योजना के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने हेतु प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिन्हें उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी, 1996 के परिपत्र सं. 734 एफ सं. 500/4/96-एफटीडी के अनुसार यूएई में रहने वाले अनिवासी सदस्यों को दोहरे कराधान से बचाव हेतु, जहां निधि का स्रोत एनआरओ खाता है, स्रोत पर 15% की रियायती दर से कर कटौती की जाएगी ।

कर कटौती नहीं

निवासी

सदस्य (कम्पनी या फर्म को छोड़कर) जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहते हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं. 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसकी उस वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर "शून्य" होगा । स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण वारण्टों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानों के अनुसार कर कटौती की जाएगी ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23ए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आनेवाले पात्र ट्रस्टों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों की खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है ।

उपरोक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही लाभांश की राशि कितनी भी हो ।

कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा । वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "एमआईपी-97" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी निवासियों और अनिवासियों (यदि यूनिटों की खरीद

अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी के जरिए की गई हो, को यूनिटों से प्राप्त आय पर तथा लाभांश द्वारा व्यक्तियों एवं एचयूएफ को हुई आय पर) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 15,000/- तक की कुल सीमा तक आय में कटौती उपलब्ध होगी ।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा ।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है ।

धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमआईपी-97 में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवीकरण, यूनिटों की आवंटन तिथि से तीन वर्षों के बाद किया जाए/रखे जाएं ।

पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) (बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं । अतः यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे ।

आय कर/धन कर/उपहार कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, अनिवासी भारतीयों/ओसीबी/एफ आई आई द्वारा किए गए निवेशों के संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम, फेरा और रिजर्व बैंक के निदेशों और अनुमतियों के अनुरूप हैं ।

सदस्यों के अधिकार

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार हैं ।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।

3. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021 में स्थित है ।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें । अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेनदेन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रशासनिक ब्यौरों के लिए सामान्यतः प्राधिकृत होगा । अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फण्डों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे ।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस० के० कपूर एण्ड कं० 16/98, एल० आई० सी० बिल्डिंग दी माल, कानपुर—208001 और मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, माणेकजी वाडीया बिल्डिंग, 127, महात्मा गांधी रोड, मुम्बई । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं ।

निवेशकों की शिकायत

01-12-95 से 30-11-96 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	शिकायतें
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	2586	2354	232	8.97%

1	2	3	4	5
सीजीजीएफ	18132	17360	772	4.26%
सीजीएस 83	18486	18383	103	0.56%
सीजीयूएस–91	7561	7094	467	6.18%
सीआरटीएस	130	126	4	3.08%
डीआईयूपी–93	598	556	42	7.02%
डीआईयूपी–95	1132	1029	103	9.10%
डीआईयूएस–90	4255	4182	73	1.72%
डीआईयूएस–91	6304	6046	258	4.09%
डीआईयूएस–92	3554	3457	97	2.73%
ईओएफ	584	294	290	49.66%
आईआईएसएफयूएस	5	5	0	0.00%
जीसीजीआई	8914	8258	656	7.36%
ग्रैण्ड मास्टर–93	1223	1152	71	5.81%
जीएमआईएस–91	11418	0773	645	5.65%
जीएमआईएस–92	4669	4205	464	9.94%
जीएमआईएस–92 (II)	781	701	80	10.24%
जीएमआईएम–बी–92	2327	2225	102	4.38%
जीएमआईएम–बी–92(II)	6522	5992	530	8.13%
जीयूपी–94	1545	1333	212	13.72%
एचयूएस	222	201	21	9.46%
एमईपी–91	6613	6392	221	3.34%
एमईपी–92	50344	49551	793	1.58%
एमईपी–93	50096	44365	5731	11.44%
एमईपी–94	14513	13454	1059	7.30%
एमईपी–95	42391	41503	888	2.09%
एमईपी–96	3704	3483	221	5.97%
मास्टर गेम–92	44454	41188	266	7.35%
मास्टर ग्रोथ –93	2552	2239	313	12.26%
एमआईपी–93	3798	3271	527	13.88%
एमआईपी–94(I)	8275	6634	1641	19.83%
एमआईपी–94 (II)	6097	5827	270	4.43%
एमआईपी–94 (III)	12966	12058	908	7.00%
एमआईपी–95	3528	3362	166	4.71%
एमआईपी–95 (II)	4578	3985	593	12.95%
एमआईपी–95 (III)	4070	3588	482	11.84%
एमआईपी–96	2039	1924	115	5.64%
एमआईपी–96 (II)	1462	1020	442	30.23%
एमआईपी–96 (III)	746	465	281	37.67%
एमआईएस–90 (I)	2757	2666	91	3.30%
एमआईएस–90 (II)	3468	3247	221	6.37%
एमआईएस–बी–93	7320	6991	329	4.49%
एमआईएसजी–91	4098	3849	249	6.08%

1	2	3	4	5
मास्टर प्लस–91	23707	23254	453	1.91%
मास्टर शेयर–86	37949	35819	2130	5.61%
ओमनी–प्लान	42	24	18	42.86%
पीईएफ	529	382	147	27.79%
आरबीपी	2744	2677	67	2.44%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	8045	7436	609	7.57%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1265	1146	119	9.41%
यूजीएस–2000	43216	42178	1038	2.40%
यूजीएस–5000	13730	12868	1042	7.59%
यूलिप	11615	10237	1378	11.86%
यूएस–64	192941	174946	17995	9.33%
यूएस–92	18087	17691	396	2.19%
यूएस–95	1	1	0	0.00%
कुल	734688	685267	49421	6.73%

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अंतरण/मृत्यु/दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :—

पश्चिमी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र, जी बी सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुंबई-400005
टेली : 2180172/2181600

पूर्वा अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता-700001
टेली : 2434581

दक्षिणी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यू टी आई हाउस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600001
टेली : 517101 विस्तारीत : 360/364

उत्तरी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरोल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली 110002
टेली : 3329860

रजिस्ट्रार

यू टी आई इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद मांगों की प्रोसेसिंग करने, सदस्यता सूचनाओं/यूनिट प्रमाणपत्रों एवं लाभांश वारण्टों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है ।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की निम्नलिखित चार प्रमुख शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिम अंचल : प्लाट नं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस स्थानक के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059।

पूर्व अंचल : 2, फेयरली प्लेस, 1ली मंजिल, पो. बॉ नं. 60, कलकत्ता-700001।

दक्षिण अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सय्यद बिल्डिंग, 45 दूसरी लाइन बीच, चेन्नई-600001।

उत्तर अंचल : तेज बिल्डिंग, 3री मंजिल, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400020 में उपलब्ध रहेंगे :

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
* पेशकश दस्तावेज एमआईएस 97 की प्रति

सारणी

क्र० सं०	नाम	वार्षिक लाभांश प्रदत्त/देय मासिक	परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि (%) आश्वासित	वास्तविक	बोनस (%) प्रदत्त देय
1	2	3	4	5	6
परिपक्व योजनाएं					
1.	एम०आई०एस०–1	12% प्र०व०	—	6	—
2.	एम०आई०एस०–2	12% प्र०व०	—	7	—
3.	एम०आई०एस०–3	12% प्र०व०	—	8	—
4.	एम०आई०एस०–4	12% प्र०व०	—	8	—
5.	एम०आई०एस०–5	12% प्र०व०	—	10	—
6.	एम०आई०एस०–6	12% प्र०व०	2	5.5	1.5
7.	एम०आई०एस०–7	12% प्र०व०	2	6	1.5
8.	एम०आई०एस०–8	12% प्र०व०	2	7	1.5
9.	एम०आई०एस०–9	12% प्र०व०	2	9	1.75
10.	एम० आई०एस०–10	12% प्र०व०	2	9	2.00
11.	एम०आई०एस०–11	22% प्र०व०	2	11	2.25
12.	एम०आई०एस०–12	12% प्र०व०	2	28	2.25
13.	एम०आई०एस०–13	12% प्र०व०	2	40	3.00
प्रचलित योजनाएं					
14.	एम०आई०एस०जी०–90	12% प्र०व०	—	—	1%, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर देय
15.	एम०आई०एस०जी०–90 (II)	13% प्र०व०	—	—	2%, 3% वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 2% बोनस 5वें वर्ष की समाप्ति पर घोषित

1	2	3	4	5	6
16.	एम०आई०ए स०जी०'91	13% प्र०व०	—	—	3%, 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 3% बोनस 5वें वर्ष की समाप्ति पर देय
	31-12-2001 तक रोल ओवर				
17.	जी०एम०आई०एस०'91	14.5% प्र०व० पहले 3 वर्षों के लिए और 15% प्र०व० अंतिम 2 वर्षों के लिए	मासिक आय विकल्प के मामले में परिपक्वता पर न्यूनतम 2% संचयी विकल्प	—	3.7% 1.7%
18.	जी०एम०आ०ईएस०'92	—वही—	—वही—	—	—
19.	जी०एम०आई०एस०'92 (II)	—वही—	—वही—	—	—
20.	जी०एम०आई०एस०बी० '92	—वही—	—वही—	—	2% बोनस लाभांश घोषित और परिपक्वता पर देय
21.	जी०एम०आई०एस०बी०'92 (II)	14% प्र०व० पहले 2 वर्षों के लिए और 14.5% प्र०व० अंतिम 3 वर्षों के लिए	—वही—	—	2%, 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और परिपक्वता पर देय
22.	एम०आई०ए स०बी०'93	14% प्र०व०	—वही—	—	3रे वर्ष की समाप्ति पर शून्य बोनस घोषित किया गया।
23.	एम०आई०पी०'93	13.5% प्र०व०	—वही—	—	2रे वर्ष की समाप्ति पर शून्य बोनस घोषित किया गया। 4थे वर्ष की समाप्ति पर बोनस घोषित किया जा सकता है और वह परिपक्वता पर देय होगा।
24.	एम०आई०पी०'94	पहले 2 वर्षों के लिए अर्थात् फरवरी/96 तक 13% प्र०व० और मासिक आय विकल्प के अंतर्गत 13.5% प्र०व० की दर से और संचयी विकल्प के अन्तर्गत 1-3-96 से 28-2-98 के लिए 14%प्र०व० की दर से			
25.	एम०आई०पी०'94 (II)	13% प्र०व० पहले 2 वर्षों के लिए मासिक आधार पर देय 14% प्र०व० अगले दो वर्षों के लिए मासिक आधार पर देय*			

1	2	3	4	5	6
26.	एम०आई०पी०/94 (III)	12% प्र०व० 1ले वर्ष के लिए और 13% प्र०व० 2रे वर्ष के लिए देय*			
	1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए 13% प्र०व०				
27.	एम०आई०पी०/95	13% प्र०व० 1ले वर्ष के लिए* 14% प्र०व० दूसरे वर्ष के लिए			
28.	एम०आई०पी०/95 (II)	13.5% प्र०व० 1ले वर्ष के लिए और 14% प्र०व० दूसरे वर्ष के लिए*			
29.	एम०आई०पी०/95 (III)	14% प्र०व० 1ले वर्ष के लिए*			
	1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए 14% प्र०व०				
30.	एम०आई०पी०/96	14.5% प्र.व० 1ले वर्ष के लिए*			
31.	एम०आई०पी०/96 (II)	15% प्र०व० 1ले वर्ष के के लिए*			
32.	एम०आई०पी०/96 (III)	15% प्र०व० 1ले वर्ष के लिए*	—	—	
33.	एम०आई०पी०/96 (IV)	15% प्र०व० 1ले वर्ष के लिए*	—	—	

*बाद के वर्षों के लिए लाभांश दर पिछले वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले घोषित की जाएगी ।

यू०टी०आई० के पिछले पांच मासिक आय प्लानों का विवरण

प्लान	एम०आई०पी०-/95 (III)	एम०आई०पी०-/96	एम०आई०पी०-/96 (II)	एम०आई०पी०-/96 (III)	एम०आई०पी० /96 (IV)
आरंभ होने की तिथि	01-01-1996	01-05-1996	01-07-1996	01-10-1996	01-01-1997
समाप्ति की तिथि	31-12-2000	30-04-2001	30-06-2001	30-09-2001	31-12-2001
मासिक लाभांश	पहले वर्ष के लिए 14% प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 14.5% प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 15% प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 15% प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 15% प्र०व०
संचयी विकल्प	—	—	—	—	—
संगृहीत की गई राशि	रु० 374.39 करोड़	रु० 197.65 करोड़	रु० 304.54 करोड़	रु० 377.24 करोड़	*रु० 409.52 करोड़
आवेदन पत्रों की संख्या	138875	69501	142023	141540	155286

पूर्ववर्ती आंकड़े

पूर्ववर्ती सांख्यिकी	1993—94 एमआईएस पूल	एमआईएसजी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएसजी 92 पूल	एमआईएसजी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त							
(1) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	5.421226	1.504720	1.781822	1.804875	1.407421	0.963319	1.11749768
(2) निवेश के अन्तरयोजना विक्रय/अन्तरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	3.260507	0	0.028271	0.169618	0.079926	0.013128	0
(3) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	3.433548	0.02	0.399543	0.066076	0.15	0	0
(4) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अन्तरण, प्रति यूनिट,							
(ग) कुल व्यय अपलिखित परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.095869	0.036984	0.047014	0.052823	0.071594	0.057462	0.04579027
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	5.326717	1.428555	1.910946	1.563694	0.974632	0.490911	0.00608374
(ङ) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्य वृद्धि/ मूल्य ह्रास, प्रति यूनिट	--	0.601081	1.714409	0.988508	0.861535	0.043052	0.09114113
(च) बाजार मूल्य							
उच्चतम							
न्यूनतम							
पुनर्खरीद मूल्य							
उच्चतम							
न्यूनतम							
बिक्री मूल्य							
उच्चतम							
न्यूनतम							
लाभ उपार्जन अनुपात							
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में							
(झ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अन्तरण को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)							
(त) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य							

मासिक आय योजनाएं

1994-95

एमआईएमजी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएसबी 92 पूल	एमआ एसबी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी95
10.91	13 03	11 49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
1.449394	1.810378	1.809111	1.416091	0.969216	0.68955599	0.16591683	−0.064031
0	0.28724	0.17	0.08	0.01	0.00	0.03	0.00
0.044492	0.083171	0.17	0.08	0.01	0.01	−0.01	0.00
0.051319	0.063398	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
1.398076	1.746985	1.74	1.36	0.90	0.61	0.10	0.05
0.275042	0.998682	0.05	0.27				

पूर्ववर्ती अवधि
1995—

पूर्ववर्ती सांख्यिकी	एमआईएसजी 90 फूल	जीएम आईएस फूल	जीएमआईएसबी 92 फूल	एमआईएसबी 93 फूल
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.89	13.95	12.67	11.44
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त;				
(1) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.465477	1.295874	1.866833	1.498960
(2) निवेश के अन्तर योजना विक्रय/अन्तरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.00	0.05	0.10	0.02
(3) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.06	0.55	2.55	0.05
(4) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट				
(ग) कुल व्यय, अपलिखित, परिशोधन एवं, प्रभार, प्रति यूनिट	0.05	0.07	0.07	0.07
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	1.42	2.22	1.79	1.43
(ङ) निवेश के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	0.26	0.72	0.41	0.40
(छ) बाजार मूल्य				
उच्चतम				
न्यूनतम				
पुनर्धारित मूल्य				
उच्चतम				
न्यूनतम				
बिक्री मूल्य				
उच्चतम				
न्यूनतम				
लाभ उपार्जन अनुपात				
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में				
(झ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए)				
(ञ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य				

मासिक आय योजनाएं
96

एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95	एमआईपी 95 (II)	एमआईपी 95 (III)	एमआईपी 96	एमआईपी 96 (II)
10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96
1.791854	1.21938693	1.24582264	1.398455	1.30344270	0.85468386	0.281579	0.04893461
0.11	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
0.19	0.07	0.03	0.02	0.11	0.03	0.01	0.00
0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
0.71	1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
—	—	—	0.06	0.55	0.82	0.43	0.07

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स), मुंबई-400 020, दूरध्वनि : 206 8468 ।

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005, दूरध्वनि : 2181600/2181254, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700 001 दूरध्वनि : 2209391/2205322, दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600 001, दूरध्वनि : 517101, उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13 वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001, दूरध्वनि : 3329860/3329858 ।

पश्चिम अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय

केन्द्र-1, 29 वीं मंजिल, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005, दूरध्वनि : 2181600/2180057 ।

शाखाएं जहां आवेदनपत्र जमा किए जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-389 009, दूरध्वनि : 6423043 बडौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवी मंजिल,

ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481, भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462011, दूरध्वनि : 558308, मुंबई : (1) यूनिट नं. 2, ब्लाक 'बी'-जेवीपीडी शापिंग सेन्टर के सामने, गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400049, दूरध्वनि : 6201995 मुंबई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुम्बई-400703, दूरध्वनि : 7672607, मुम्बई : (3) कोर्ट बिल्डिंग, 169, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लेमेशन, मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2850821/822, (मुंबई मुख्य शाखा के लिए), मुंबई : (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एसवी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, दूरध्वनि :-8020521 मुंबई : (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, लाल लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256, इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाबोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्सवे), नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893 नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 572166 पणजी : ई.डी.सी. हाऊस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472 पुणे : सदाशिव निवास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : लल्लूभाई सेंटर, चौथी मंजिल, लाखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112, सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, नानपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 34550. ठाणे : यूटीआई हाउस, ठाणे पोस्ट कार्यालय के समीप, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)-400601, दूरध्वनि : 5400905 ।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002, दूरध्वनि : 54408, इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003, दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143001, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160017, दूरध्वनि : 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि: 26720, फरीदाबाद : बी-614-617 नेहरू ग्राउंड, एनआईटी फरीदाबाद-121001, गाजियाबाद : 41 नवयुग मार्केट, सिंधनी गेट के पास, गाजियाबाद-201001, जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79ई, सिविल लाईन्स, कानपुर-208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, दूरध्वनि : 3318638/3319786, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, (जानकीदास एण्ड कं. डिपार्टमेन्टल स्टोर के ऊपर), शिमला-171002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001 दूरध्वनि : 54306/54262/54272 ।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेंबर आफ कामर्स, केम्पेगोवडा रोड, बंगलोर-560009, दूरध्वनि : 2263739, कोचीन जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर-641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबर्गी मेंशन, 4थी मंजिल, लेमिंग्टन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट हैदराबाद-500001, दूरध्वनि : 511095, मद्रास : यू.टी. आई हाउस, 29, राजाजी सलाई, मद्रास-600001, दूरध्वनि : 517101/513695, मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई-625001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम.आर. रोड, तिरुअनंतपुरम-695001, दूरध्वनि : 331415, त्रिची : 104, सलाई रोड, थोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, श्रेष्ठ पल्लिथा-माम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, नार्थ, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156 बन्दर रोड, मनोरमा होटल के अग्र, विजयवाड़ा-520002, दूरध्वनि : 74434, विशाखापटनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखा-पट्टनम-530016, दूरध्वनि : 548121 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : आशा निवास, 246, लेवीस रोड, भुवनेश्वर-751014, दूरध्वनि : 56141, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391/2205322, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781001, दूरध्वनि : 543131, जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तुपुर, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि : 425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवी मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001, दूरध्वनि : 235001, सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 24671 ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 31 मार्च 1997

सं. यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-184/2-216/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई आवास यूनिट योजना, 1992 के प्रावधानों में किया गया संशोधन दिनांक 12 मार्च, 1997 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसको नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए. डी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

अनुबंध

निम्नलिखित को "स्विच ओवर विकल्प" शीर्षक से एक नए खण्ड 7 बी के रूप में योजना के प्रावधानों में जोड़ा जाता है ।

यहां इसके प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी ट्रस्ट स्वविवेक से योजना के चालू रहने के दौरान किसी भी समय/समाप्त होने पर इस योजना के यूनिटधारकों को उस समय शुरू की गई या चल रही किसी अन्य योजना/प्लान में ट्रस्ट द्वारा निर्णित और घोषित रूप एवं रीति से तथा शर्तों एवं निबंधनों के अधीन स्विच ओवर (परिवर्तन) करने की अनुमति दे सकता है ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 मार्च 1997

सं. एफ. 28-3/96-एन. सी. टी. ई.—खण्ड 32 क उप-खण्ड (2) की धारा (घ) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के खण्ड 12 की धारा (ङ) के साथ पढ़ा जाये, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [नियमित संवारत अध्यापकों के लिये पत्राचार माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी. एड.) की दिशा-निर्देश] विनियम, 1996 में संशोधन करने के लिए, जिन्हें एफ-28-3/96-एन. सी. टी. ई. दिनांक 14 जून, 1996 के अंतर्गत जारी किया गया था, निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं :—

1. इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [नियमित संवारत अध्यापकों के लिये पत्राचार माध्यम से शिक्षा-स्नातक (बी. एड.) के दिशा-निर्देश] संशोधन विनियम, 1997 है ।

2. ये विनियम तत्काल से लागू माने जाएंगे ।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [नियमित संवारत अध्यापकों के लिये पत्राचार माध्यम से शिक्षा-स्नातक (बी. एड.) के दिशा-निर्देश] विनियम, 1996 के साथ दिये अनुबन्ध के स्थान पर संलग्न अनुबन्ध को रखा जाएगा, जिसके द्वारा दिशा-निर्देशों में नीचे निर्दिष्ट संशोधन किये गये हैं :—

1. शीर्षक में 'दूरस्थ शिक्षा' ये शब्द जोड़ दिये गये हैं ।

2. 'पात्रता के मानदंड' तथा 'प्रवेश के लिये योग्यताएं' इन उप-शीर्षकों के स्थान आपस में बदल दिये गये हैं, तदनुसार विषयसूची में भी उनके स्थान आपस में बदल दिये गये हैं ।

3. 'पात्रता के मानदण्ड' में —

(क) 'उस अधिकार-क्षेत्र' इन शब्दों से पहले 'जिसकी व्याख्या ऊपर की गई है' इन शब्दों को जोड़ दिया गया है ।

(ख) 'विश्वविद्यालय के' ये शब्द छोड़ दिए गए हैं ।

(ग) शब्द 'साथ' के स्थान पर शब्द 'और जिनके पास' शब्द रख दिये गये हैं ।

4. 'कार्यक्रम संघटक' में —

(क) 'वि. वि. ग. आयोग' इन शब्दों के बाद 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्' ये शब्द जोड़ दिये गये हैं (जहां स्वयं पढ़कर सीखने की पाठ्यक्रम सामग्री की चर्चा है) ।

(ख) जहां परीक्षा की चर्चा है वहां शब्द 'व्यावहारिक' के स्थान पर शब्द 'प्रायोगिक' रख दिया गया है ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य-सचिव

अनुबंध

2.0 दिशा-निर्देश

संवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से शिक्षा-स्नातक (बी. एड.) के लिए दिशा-निर्देश —

(क) पाठ्यक्रम शीर्षक—माध्यमिक अध्यापकों का शिक्षा-स्नातक दूरस्थ शिक्षा माध्यम ।

(ख) अधिकार क्षेत्र : प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं प्रत्याशियों को प्रवेश देगा जो प्रवेश के समय उस विद्यालयों में काम कर रहे जो अधिनियम/राज्य सरकार द्वारा उनके लिये निर्धारित भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में स्थित है ।

(ग) प्रवेश के लिये योग्यताएं : प्रवेश के लिए स्नातक अथवा अन्य स्तरों पर प्राप्त अंक की रूप में प्रवेश की योग्यताएं वही है जो राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों की भर्ती के लिये निर्धारित की गई है अथवा जो नियमित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये निर्धारित है । प्रवेश एक लिखित प्रवेश परीक्षा के बाद दिया जाएगा ।

(घ) सीटों की संख्या : कोई भी विश्वविद्यालय किसी एक निर्धारित शिक्षा-वर्ष में 500 से अधिक प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं देगा ।

(ङ) अवधि : शिक्षा स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रमों के लिए 24 माह; प्रवेश परीक्षा, प्रवेश आदि की औपचारिकताओं में व्यय होने वाले समय के अतिरिक्त ।

(च) शिक्षा-शुल्क : वही जो विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षा-स्नातक (बी.एड) के प्रत्याशियों पर लागू है । तथापि विद्यार्थियों से मुद्रित सामग्री, श्रव्य-दृश्य सामग्री (पैकेज), डाकखर्च, पुस्तकालय सेवा आदि का खर्च पूरा करने के लिये अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है ।

(छ) पात्रता के मानदंड : जिसकी व्याख्या ऊपर की गई है उस अधिकार-क्षेत्र में स्थित मान्यताप्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर) में सेवारत केवल वही नियमित अध्यापक जिन्हें कम से कम तीन वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो ।

(ज) कर्मचारी वर्ग का ढांचा : प्रत्येक 500 विद्यार्थियों के लिये दस पूर्णकालिक संकाय सदस्य और अतिरिक्त दस ठोस योगदान देने वाले अंशकालिक संकाय सदस्य । नियमित पूर्णकालिक मूल संकाय व सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती के लिये निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा । अंशकालिक संकाय सदस्यों की शैक्षिक योग्यताएं भी वही रहेंगी और 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को अंशकालिक संकाय सदस्यों के रूप में सहयोजित नहीं किया जा सकेगा ।

कार्यक्रम संघटक

(क) दूरस्थ शिक्षा फार्मेट में स्वयं पढ़कर सीखने की पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री । मुद्रित सामग्री का नमूने के रूप में मूल्यांकन । मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित समितियों द्वारा किया जाएगा ।

(ख) वि. वि. अ. आयोग जन-संचार केन्द्रों, आंतरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (सी. आई. ई. टी.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के परामर्श से श्रव्य-दृश्य सीडियो सामग्री (पैकेजेज) की व्यवस्था।

(ग) निर्धारित एसाइनमेंट्स जिनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी तरह मूल्यांकन होना आवश्यक । प्रत्येक सिमेस्टर में, और प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम में एक निर्धारित एसाइनमेंट होगा ।

(घ) 4 सप्ताह की अवधि का आंतरिक शिक्षण (इन्टर्नशिप), जिसके दौरान अध्यापक प्रशिक्षु कम से कम 40 पाठ, उस विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसमें वे काम कर रहे हैं, उनमें से 10 पाठों को पढ़ाते समय प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालय विभागों के नियमित अध्यापक-प्रशिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा ।

(ङ) बारह सप्ताह, यथा प्रतिदिन कम-से-कम 6 घंटे का 72 दिन का अनिवार्य सम्पर्क कार्यक्रम : यह कार्यक्रम किसी और द्वारा नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के विभागों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों के योग्यताप्राप्त अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा चलाया जाएगा । इस अवधि के दौरान यह जांच करने की दृष्टि से कि अपने अंतरंग-शिक्षण (इंटर्नशिप) की अवधि में प्रत्याशियों ने अध्यापन कौशल में किस सीमा तक प्रवीणता हासिल कर ली है, विशेषज्ञों द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाएगा । किसी भी सम्पर्क कक्षा के एक समूह में 50 से अधिक अध्यापक-प्रशिक्षु नहीं रहेंगे ।

(च) परीक्षाएं उस अवधि को छोड़कर जो सम्पर्क कार्यक्रमों के लिए निश्चित है, शिक्षण के लिए विनिर्दिष्ट दिनों में ली जाएंगी । सम्पर्क व्यावहारिक कार्यक्रमों में कम-से-कम 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी । उपस्थिति में कोई छूट सामान्य नियम के तौर नहीं बल्कि केवल अपवादस्वरूप ही दी जाएगी और छूट 20 प्रतिशत से अधिक नहीं दी जा सकेगी ।

दिल्ली नगर कला आयोग

भारत पर्यावास केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 मार्च 1997

शुद्धि-पत्र

सं. 3(3)/94-डी.यू.ए.सी.—भारत का राजपत्र, भाग-1 खण्ड-4, संख्या 6, पृष्ठ 461 पर दिनांक 8 फरवरी, 1997 को प्रकाशित शुद्धि-पत्र में :—

(2) के बाद आगे शब्द 'में' को 'में' पढ़ा जाए ।

एम. टी. मैथाम
सचिव

छावनी परिषद्
इलाहाबाद छावनी, दिनांक 1997

सं. का.नि.आ.टी-51/2—इलाहाबाद छावनी की सीमाओं के भीतर जलकर अधिरोपित करने के बारे में एक सार्वजनिक सूचना का प्रारूप छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 61 की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड की सूचना सं. टी-51/2 दिनांक 04 अक्तूबर, 1996 के साथ दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 05 अक्तूबर, 1996 को प्रकाशित किया गया था और उक्त सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने तक उसके बारे में आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे

और उक्त सूचना 04 अक्तूबर, 1996 को छावनी परिषद् के सूचना-पट पर लगाई गई थी ।

और उस पर जनता से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।

अतः छावनी परिषद् इलाहाबाद उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व-मंजूरी से इलाहाबाद छावनी की परिसीमाओं में सभी भूमि भवनों पर उनके वार्षिक मूल्यांकन के 14% की दर से कर अधिरोपित करता है ।

प्रतिबंध यह है कि उपरोक्त कर छावनी बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार के भूमि भवनों पर अधिरोपित न होगा ।

ह. अपठनीय
छावनी अधिशासी अधिकारी
इलाहाबाद छावनी

पाद टिप्पणी :—

छावनी परिषद् इलाहाबाद ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व-मंजूरी प्राप्त कर समस्त भूमि एवं भवनों पर उनके वार्षिक मूल्यांकन का इलाहाबाद छावनी सीमा के अन्तर्गत निम्न दर के अनुसार जलकर अधिरोपित किया था :-

(अ) भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन का 12% जलकर जिसमें धारेरू जलापूर्ति अलग से है अधिरोपित था ।

(ब) भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन का 10% जो सार्वजनिक नल से 310 मीटर की परिधि के अन्तर्गत है अलग से कोई धारेरू जलापूर्ति नहीं है ।

यह अधिसूचना का नि. आ. टी-51/2/1223 दिनांक 31-7-85 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में दिनांक 17-8-85 को प्रकाशित हुआ था ।

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF SUPERVISION

Mumbai-400 005, the 26th March 1997

No. 589/08 : 21 : 002/97.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India Act, 1955 and in consultation with the Central Government, the Reserve Bank of India has appointed :

(1) M/s. Bhattacharya Das & Co., Calcutta
(2) M/s. Jagannathan & Gurbeswaran, Chennai
(3) M/s. Sorab S. Engineer & Co., Mumbai
(4) M/s. Loonkar & Co., Mumbai
(5) M/s. K. K. Soni & Co, New Delhi
(6) M/s. R. Singhi & Co., Calcutta
(7) M/s. Bansal Sinha & Co., New Delhi
(8) M/s. Khanna & Co., New Delhi
(9) M/s. P. B. Vijayaraghavan & Co., Chennai
(10) M/s. Khimji Kunverji & Co., Mumbai.
(11) M/s. P. K. Chopra & Co., New Delhi
(12) M/s. Mukund M. Chitale & Co., Mumbai
(13) M/s. Raghunath Rai & Co., New Delhi

as auditors of the State Bank of India until the next Annual General Meeting of the said Bank.

V. PANGARAJAN
Executive Director

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Mumbai-400 005, the 2nd April 1997

No. IBS/1685/23.089/97.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :

"The Commercial Bank of Korea, Ltd."

J. K. PRABHU
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Mumbai, the 10th May, 1997

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F. (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended February 1997 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie for the month ended July 1996 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accou Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name (s) of the claimant (s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		9% Relief Bonds 1987 (New Delhi Circle)			
DH-003895 to DH-003902 (8x5,00,000/-)	Rs. 40 Lacs	Avtar Mohan Singh & Bhai Mohan Singh	No interest is due	Avtar Mohan Singh and Bhai Mohan Singh	LN-2/96 dt. 12-3-96
		National Defence Gold Bond 1980 'A Series'			
DH-000776	81 Gms. of gold	Shri Ajit Singh	16-12-65 onwards	Lehmber Singh S/o Shri Gijjan Singh P. O. A. of Ajit Singh	LN-9/96 dated 8-2-1997

LIST 'B'

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name (s) of the claimant (s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		9% Relief Bonds 1987 (New Delhi Circle)			
DH 003247	Rs. 62,000/-	P. N. Wahi & Amar Nath Wahi	No interest due	Amar Nath Wahi	LN-1-97 dated 27-1-97
		Government Treasury Bills (Mumbai Circle)			
G/024744	Rs. 75 Lacs	Discount & Finance House of India Ltd. & endorsed to Bareilly Corporation Bank Ltd.	Not applicable	Payment of discharge value claimed by Bareilly Corporation Bank Ltd.	
		3% Conversion Loan 1946 (Calcutta Circle			
CA 315090	Rs. 5000/-	Moni Mohan Pramanick (deceased)	intt. upto 64th half year has been paid	Hemanta Kumar Pramanick	File No. I-2505, General Manager order dated 12-12-96 vide Dy. No. L.C.O. 127/96-97 dt. 01-01-1997.

V. D. CHOUHAN
P. Chief General Manager

BANK OF BARODA

HEAD OFFICE

Baroda, the 3rd February 1997

No HO. OSR&IR/A/5/14/504.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called Bank of Baroda (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 for first proviso to Sub-Regulation (1) of Regulation 19, the following may be substituted, namely :—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in Sub-Regulation (2) retire, if it is of the opinion that it is in the public interest, an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after completion of 30 years of total service as an officer employee or otherwise, whichever is earlier."

K. K. VERMA
General Manager (HRM)

UNITED BANK OF INDIA

PERSONNEL ADMINISTRATION

(OFFICER EMPLOYEES' DIVISION)
HEAD OFFICE

Calcutta-700 001, the 1st April 1997

No. 1/97.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-Section (2) of Secton 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and

with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called United Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 for first proviso to Sub-Regulation (1) of Regulation 19, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in Sub-Regulation (2) retire, if it is considered necessary to do so in the public interest, an officer Employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as on Officer Employee or otherwise, whichever is earlier".

Dy. General Manager
Dy. General Manager
(Personnel)

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 4th March 1997

No. U-16/53/1/94-Med.II(Kerala).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950, I hereby authorise the following doctors to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms wef the dates given below for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Kerala for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Sl. No.	Name of Doctors	Period	Name of Centre
1.	Dr. Joseph Edwin	29-12-96 to 28-12-97	Kollam
2.	Dr. V. R. Rajamma	29-12-96 to 28-12-97	Alleppey & Kottayam
3.	Dr A. N. Radhakrishnan	17-12-96 to 16-12-97	Ernakulam

S. K. SHARMA
Director General

The 17th March 1997

No. U-16/53/88-Med.II(Gujarat).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950, I hereby authorise Dr. R. B. Vyas, P.T.M.R., Surat centre, Ahmedabad to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 25-3-1997 to 24-3-1998 for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Surat centre, for areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 19th March 1997

No. U-16/53/93-Med.II(Gujarat).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the E.S.I. Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, I hereby extend the services of Dr. D. M. Khalsa, part time Medical Referee, Baroda to function as Medical Authority wef 3-5-1997 to 2-5-1998 for a period of one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier for Baroda centre, and the areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (North West Zone) Gujarat at a monthly remuneration in accordance with existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 2nd April 1997

Subject :—Change in the Chairmanship of Regional Board, ESI Corporation, Jammu & Kashmir.

No. V-33(13)-20/89-Estt.IV.—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation nominates the Hon'ble Minister of State for Labour, Social Welfare and Employment as Chairman of Regional Board, ESI Corporation, Jammu & Kashmir in place of the Advisor to the Governor, Government of Jammu & Kashmir under Regulation 10(1)(a) of the ESI (General) Regulations, 1950.

Now, therefore, the following amendment is made in the Corporation's Notification No. V-33(13)-20/89-Estt.IV dated 6-4-1995.

Substitute entry against Sl. No. 1 by the following :—

EXISTING PROVISION	PROPOSED PROVISION
The Advisor (RKS) to the Governor to the Govt. of Jammu & Kashmir.	Hon'ble Minister of State for Labour, Social Welfare & Employment, Govt. of Jammu & Kashmir.
Chairman	Chairman

S. K. SHARMA
Director General

New Delhi, the 18th March 1997

No. N-15/13/14/4/96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-3-1997 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Thattankulam, Kalugarkadai, Thiruppuvanam and its hamlet Nelmudi karai of Manamadurai Taluk in Pasumpon Muthuramalingam District."

L. K. PATTANAIK
Jt. Director (P&D)

The 1st April 1997

No. N-15/13/14/2|96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th March, 1997 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue Villages of Samathur, Ramapattinam, Marichinaickenpalayam, Suleeswaranpatti, Kottampatti (Zamin), Ambarampalavam, Kurumbapalayam, Ayyampalayam, Santheygoundanpalayam and Unjavelampatti in Pollachi Taluk of Coimbatore District."

L. K. PATTANAIK
Jt. Director (P&D).

No. N-15/13/1/2|96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fired the 16th March, 1997 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the limits of revenue village of Reddygunta in Chittoor mandal and the revenue village of Peddakalva including the villages of Sundarajapuram and Ellamrajupalle in Gangadhara Nellore mandal of Chittoor District."

L. K. PATTANAIK
Jt. Director (P&D).

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110066, the 31st March 1997

No. C.P.F.C. E.1(4) KR(1391)/96/967-75—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous of Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	KR/KC/13252	M/s. Catholic Union Chittles Ltd., Mala, P.O. 680732, Vadama Village, Mukandepuram Taluk, Trissur.	1-9-90
2.	KR/KC/13638	M/s. Anthony Francis Enterprises, P.O. Link Road, Ernakulam, Cochi-31.	1-8-93
3.	KR/KC/13680	M/s. Pankaj Soaps and Detergents, Pankaj Compound, 18/37, Palluruthy Road, Cochin-5.	1-4-92
4.	KR/KC/13826	M/s. Oxford Institute of Engineering and Computer Centre, Muvattupuzha P.O., Muvattupuzha Taluk, Ernakulam District.	1-9-94
5.	KR/KC/13838	M/s. Integra Institute of Technology, 40/7074, Rajaji Road, Ernakulam, Cochin-682035.	1-10-94
6.	KR/KC/13867	M/s. Yasoram Concrete (P) Ltd., Convent Road, Ernakulam, Cochin-35.	1-1-95
7.	KR/KC/13961	M/s. Water Ways, Subramaniam Road, Wellington Islands, Kochin-3.	1-4-95
8.	KR/KC/15026	M/s. Metax Polymers, Velappaya, Trichur-680596.	1-6-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C.I(4) MH(1400)/96/976-85—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	MH/40265	M/s. Kala Mandir, Marine Chambers, Ist Marine Street, Mumbai-400 020.	1-4-94
2.	MH/NGP/61285	M/s. Kamini Enterprises, 19-A, Central Avenue, Near Rapid Transport, Gandhibagh, Nagpur-2.	1-8-94
3.	MH/41016	M/s. Micronet Computer Services, Pvt. Ltd., C/122, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Andheri (E), Mumbai-400 072.	1-4-95
4.	MH/93935	M/s. Frevi Engineers, B-92, Vikas Finlay Towers, G. Ambedkar Road Parel, Mumbai-400033.	1-7-93
5.	MH/NGP/60519	M/s. Doogaon Vividh Karyakari Sahakari Sanstha Ltd., Mehkar Road, Distt. Buldhana.	1-9-91
6.	MH/41489	M/s. Budhrajat Art Printers, 87-C, Sanjay Bldg., No. 5, Mittal Estate, A.K. Road, Mumbai-400 059.	30-9-95
7.	MH/PN/31320	M/s. Bharati Printing Press, Bharati Vidyapeeth Campus, Ernadawane, Pune-411 038.	1-6-92
8.	MH/PN/30696	M/s. Praveen Enterprises, 73/5, L.I.G. Colony, Sector 25, Nigadi, Pune-411 044.	1-1-91

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of he said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) KR(1401)/96/986-94—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees, Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	KR/KK/14332	M/s. Soubhagya, Hospital Road, Thalassery.	1-5-95
2.	KR KK/14333	M/s. Soundarya Saree Show Room, Hospital Road, Thalassery.	1-5-95
3.	KR/KK/14334	M/s. Suyish Bus Transport, KL/13-9471, Thalamunda, P.O. Koodali, Kannur Taluk, Kannur Distt.	1-495
4.	KR/KC/15017	M/s. School of Airlines & Travel Management, Warriam Road, Ernakulam, Cochin-682 016, Kerala, India.	1-7-95
5.	KR/KC/15029	M/s. Devatha Bar & Restauran Ollur, Trichur.	1-6-95
6.	KR/KC/15059	M/s. Concord International, HIG-9, Panampilly Nagar, Kochi-36.	31-8-95
7.	KR/KC/13410	M/s. Sree Karthik Agencies, No. XI/101-A, Pathicheril Gardens, S. Kalamassery, Cochin-22.	1-4-91
8.	KR/12828	M/s. Ex-Army Industrial Security, Vinod Niwas, Veliyam, code P.O. Trivandrum-695512.	1-12-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments, from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. E.1(4) MH(1404)/96/995-1003—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	MH/90432	M/s. Hira Industries, Near Agarwal Industrial Estate, Valiv Sativli Road, Valiv Vasai (East), District Thane-401208.	1-4-94
2.	MH/90511	M/s. Rajnikant Keshavlal & Sons, 1-4, Mahashakti Apartment, Navghar, Vasai (West), Thane-401202.	31-3-95

1	2	3	4
3.	MH/41298	M/s. Mota Shipping Agency, Calcuttawalla Building, 2nd Floor, 137/41, Samuel Street, Mumbai-400009.	1-7-95
4.	MH/NGP/61448	M/s. State Bank of India, Employees Cooperative Credit Society Ltd., Kingsway, Nagpur-440001.	1-2-95
5.	MH/NGT/60427	M/s. Jija Mata Sahakari Whole Sale and Retail Consumers Stores, Shankar Nagar, Dusarbid, District Buldana.	1-1-91
6.	MH/PN/31087	M/s. Bhakti Apparel, 94/26, Jodbhavi Peth, Solapur-2.	31-12-91
7.	MH/40468	M/s. Bankim Mehata, 101 Veena Chambers, 21, Dalal Street, Mumbai-400001.	1-4-94
8.	MH/40713	M/s. Alliance Business Credit Ltd., 148, Atlanta, 14th Floor, 209, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-2-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) MH (1410)/96/1004-12—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	MH/41333	M/s. Shutters Advertising Services, D-11, Everest Building, 156, Tardeo Road, Mumbai-400034.	31-8-95
2.	MH/41293	M/s. Chanakya International Pvt. Ltd., 218/219, Jaywant Industrial Estate, 63 Tardeo Road, Mumbai-400034.	1-4-95
3.	MH/41296	M/s. Hindustan Domestic Oil & Gas Co. (Bombay) Ltd., H/11, 9th Floor, Everest Building, 156 Tardeo Road, Mumbai-400034.	1-7-95

1	2	3	4
4.	MH/41288	M/s. Panache Fashions, C/o Bombay Textile Mills, Suryodaya Mills Compound, Tardeo, Mumbai-400034.	1-5-95
5.	MH/41375	M/s. Harmeen Insulation Engineers, 41, Harbour Crest Building, Ground Floor, Tulsiwadi, Mazgaon, Mumbai-400010.	10-11-94
6.	MH/Goa/10491	M/s. Ismail Jusab Virani, 19, Municipal Market, Mapusa-Goa-403507, (India).	1-3-95
7.	MH/Goa/10466	M/s. Virani Enterprises, Opp. Municipal Market, Mapusa-Goa-403507.	1-3-95
8.	MH/PN/31496	M/s. Pedder & Pedder Tiles Ltd., G. No. 297/1 & 2, Industrial Area, Off. Pune-Solapur Road, Village Nandoor, Taluka Daund, Dist. Pune-412202.	1-10-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. E. 1(4) MH/(1412)/96/1013-20—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MH/39706	M/s. A.C. Choksi, 57-A, 3rd Floor, Bhupen Chamber, 9, Dalal Street, Mumbai-400023.	01-08-93
2.	MH/40046	M/s Barai Architectural & Industrial-Consultants (P) Ltd. Lentin Chambers 36 Dalal Street, Mumbai-400023.	1-4-94
3.	MH/40332	M/s. S.M.D. Travel Corporation, 7 Tulsiani Chamers 212, Nariman Point Mumbai-400023.	1-4-94
4.	MH/40745	M/s Positive Packaging Industries (P) Ltd, 98, Jolly Maker Chambers No-2 225' Nariman Point, Mumbai -400021	1-8-1994
5.	MH/40817	M/s. SIS Credit Pvt. Ltd. 101, Dalamal Towers Ist Floors, 'B' wing Nariman Point Mumbai-400021.	20-1-95

1	2	3	4
6.	MH/41545	M/s' Gherry Fashions Ltd. NB/13 Sona Udyog Estate Parst Panchayat Road, Andheri (E) Mumbai-400069.	17-7-95
7.	MH/41341	M/s. Khandwala Share & Stock Brokers (P) Ltd., 5-D Kakad House, 11, New Marine Lines, Mumbai-400020.	1-7-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, R.S. Kaushik, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) MH(1421)/96/1021-27—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act., 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	MH/41300	M/s Glencore India Pvt. Ltd., 908, Masker Chamber-V, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-4-95
2.	MH/41305	M/s. Gabbana Fashions Pvt. Ltd., 4 & A/B-29, Bhulabhai Desai Road, Tirupati Shopping Centre, Mumbai-400026.	1-8-95
3.	MH/41645	M/s. Industrial Gardening and House-Keeping Service, 62/2, Vallabh Baug Lane Ext., Opp, Building No. 148, Pant Nagar, Ghatkopar(E), Mumbai-400086.	1-12-95
4.	MH/41710	M/s. Decoramics, 160, Veena Dalvai Indl. Estate, Oshiwara, S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai-400102.	1-1-96
5.	MH/41721	M/s. H.J. Cleavers, Unit No. 118, Keytuo Industrial Estate, 220, Kondivita Road, Andheri (East), Mumbai-400059.	1-1-96
6.	MH/KP/29911	M/s. Shri Ambika Nagari Sahakari Pat Sanstha Ltd., At/Post Wangi, Tal-Khanapur, Dist. (Sangli).	1-2-96
7.	MH/KP/29910	M/s. Hirwade Khalasa Vividh Karyakari Sahakari (Vikas), Seva Sanstha Maryadit, Hirwade-Khalasa Tal-Karveer, Dist. Kolhapur.	1-1-96

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1 (4) MH (1422)/96/1028—35 ;— Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the establishments	Date of Coverage
1	2	3	
1.	MH/41484	M/s. Cargo Service Centre (India) Pvt. Ltd., 503, Atlanta Towers, Sahar Road, Andheri (E), Mumbai-400099.	01-06-1995
2.	MH/41547	M/s. Atlas Consultancy Services, 202, Damji Shamji Udyog Bhavan, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400053.	01-01-1995
3.	MH/41026	M/s. Swift Finlease (India) Ltd., 101, Neelkanth Commercial Centre, Sahar Road, Andheri (East), Mumbai-400099.	01-04-1995
4.	MH/41160	M/s. Kinsho Mataichi Corporation, Block No. 113, 11th Floor, "Maker Chamber VI", Nariman Point, Mumbai-400021.	01-04-1995
5.	MH/40597	M/s. Noel Agritech Limited, C-10, Dalia Industrial Estate, Office ; New Link Road, Andheri (W), Mumbai-400058.	01-04-1994
6.	MH/41649	M/s. El-Zee Television Pvt. Ltd , 603, Jai Amba, New Juhu Versova Link Road, Andheri (W), Mumbai-400058	01-06-1995
7.	MH/41398	M/s. M. B. Karfts, Unit No. 227, Keytuo Industrial Estate, 220, Kondivita Road, Andheri (E) Mumbai-400059.	01-06-1995
8.	MH/39422	M/s. Concord Elevator Pvt. Ltd., Prospect Chambers, Annexe, Dr. D. N. Road, Fort, Mumbai-400001.	01-04-1993

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, I, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. E. 1(4) MH(1426) 96/1036-44:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
1.	MH/KP/29915	M/s. Hotel Rajat Palace, 174, Bhavani Peeth, Palace Street, District-Satara.	1-8-95
2.	MH/KP/29919	M/s. Shri Mahadeo Sahakari Pani Purvatha Sanstha Ltd., Junekhed, Tal ; Walva, District-Sangali.	1-9-95
3.	MH/KP/29913	M/s. Shri Bhaveshwari Sahakari Dudh Vyavsaik Sanstha Maryadit, Hiddugi, Tal. G dhinglaj, District Kolhapur.	1-2-96
4.	MH/KP/29925	M/s. Shri Warana Sahakari Dudh Vyavsaik Sanstha Maryadit, Ghunaki Tal ; Hatkanangal, District Kolhapur.	1-2-96
5.	MH/KP/29912	M/s. Alpa Sa khyanank Nagari Sahakari Pat, Bigar Sheti Pat Sanstha Maryadit, Jaysingpur, Tal ; Shirol, District-Kolhapur.	1-2-96
6.	MH/37091	M/s. Peg Consultants and Engineers (P) Ltd., 208, Damji Shamji Udyog Bhavan, Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400058.	1-8-90
7.	MH/41726	M/s. Maharashtra Truck Owners Association 210, 2nd Floor, Trapinex House, 15, Sholapur Street, Mumbai-400009.	1-4-95
8.	MH/41754	M/s. Mitsuba System 34, H, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai-400053.	1-12-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL Regional Provident Fund Commissioner.

No. CPFC.E.1 (4)MH(1437)/96/1045-53—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	MH/41451	M/s. International Exports, 14, CEPZ, MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai-400093.	01-10-94
2.	MH/11492	M/s. Kollmorgen Tandon (India), 2, SDF 1, SEEPZ, Andheri (E), Mumbai-400096.	01-09-95
3.	MH/41045	M/s. New Satara Zilla Nagarik Sahakari Pat., Sanstha Ltd., B-1, Progressive Building, Dr. Compound Chinchpakpli (E), Mumbai-400012.	01-01-95
4.	MH/39855	M/s. Jaslok Hospital & Research Centre, Employees Cooperative Credit Socie y Ltd., 15, Dr. G. Deshmukh M rg, Mumbai-400026.	01-04-93

1	2	3	4
5.	MH/40924	M/s. Hajiali Tea Shop, Hajiali Dargah Compound Hajiali, Mumbai-400026.	01-02-95
6.	MH/41238	M/s. Sparkling Jewellery Manufacturing (P) Ltd., G-37, SEEPZ, Gem & Jewellery Complex-3, Andheri(E), Mumbai-400096, India.	01-01-95
7.	MH/39730	M/s. Prashuma Art Printers, 354/A.I, Shah & Nahar Industrial Estate, Dhanraj Mill Compound, Lower Parel, Mumbai-400013.	01-04-93
8.	MH/NGP/61361	M/s. Surekha Oil Mill, Jagdamba Road, Khamgaon-444303.	01-11-94

Now, therefore, in excercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC. E. 1 (4) KR (1441)/96/1054-61—Whereas it apperas to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the follwoing establishments have agrreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicible to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	KR/KC/13918	M/s. Nortpak Fibre Optics (P) Ltd., Plot No. 2, Cochin Export Processing Zone, Kakkanad, Cochin-682030.	01-04-94
2.	KR/KC/13978	M/s. Kottayam Drug House, Manorama Junction, K.K. Road, Kottayam-686001	01-06-95
3.	KR/KK/14434	M/s. Pinarayi Coconut Jaggery Production Cooperative Society, Ltd, No. F-1336, P.O. Pinarayi Kannur District, Thalasserry-670741.	01-11-95
4.	KR/KK/14398	M/s. Parvathi Bus Service, Chakkarakkal, Savero, P.O. Mowancherry-670613 Cannanore District	01-07-95
5.	KR/KC/13974	M/s. Aegis Communication (P) Ltd., XL/437, 3rd Floor, Chandrika Buildings, M.G. Road, Cochin 11.	01-04-95
6.	KR/12830	M/s. Ex Servicemen Security Service, Regd. No. 197/95, Jyothinilayam, Mottamoola, Veeranakavu, P.O. Kattakada Thiruvanantha Puram-695572	01-04-95
7.	KR/KC/15010	M/s. Popular Agencies, Kanjany Road, Ayyan Thole Trichor-3.	1-6-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) KR(1446)/96/1062-67 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishment namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	KR/KK/14274	M/s. Safiya Travels (P) Limited., Manuelsons Towers, G.H. Road, Calicut-673001.	1-1-1995
2.	KR/KC/13832	M/s. Blaze Kuries and Loans (P) Ltd., Irinjalakuda, 680121 Trissur.	1-12-1994
3.	KR/12829	M/s. Teonomic Marketing Services Pvt. Ltd., Geeth, 5/2569(2), Palpinmoodu, Sasthamangalam, Triuvandrum-695010.	1-4-1995
4.	KR/12832	M/s. Creative Arts, Building No. N.P. VII/1233, Industrial Estate, P.O. Pappanamcode, Trivandrum, Taluk & Dist.	1-10-1995
5.	KR/12831	M/s. Sri Sathya Sai English Medium School, Sri Sathya Sai Educational Society., Vellana l-695543.	1-8-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section of the said Act. Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) MH(1450)/96/1068-76 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employes and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage.
1.	MH/40865	M/s. J.R. Industries, 212, T.V. Ind strial Estate, 2nd Floor, Plot No. 248-A, 52, S.K. Ahire Marg, Worli, Mumbai-400025.	1-4-1995
2.	MH/KP/29932	M/s. Ashok Nagari Sahakari Pat Sanstha Maryadit, Tasgaon Guruwar Peth, District Sangli.	1-1-1996
3.	MH/Goa/10518	M/s. Prabhu Electricals and Sons (P) Ltd., 305, Mahalaxmi Chambers, Dr. Shirgaonkar Road, Near Saraswati Mandir, P.O. Box No. 57, Panaji Goa-403001.	1-9-1995
4.	MH/41665	M/s. Kirpalaney & Associates, (Engineers) Pvt. Ltd., Fleet Building, Marol Naka, Sir M.V. Road, Andheri (E), Mumbai-400059.	1-1-1996
5.	MH/41674	M/s. Sur Style Jewellery (P) Ltd., G-42, Gem & Jewellery Complex, III SEEPZ, Andheri (E), Mumbai-400096.	1-3-1996
6.	MH/41806	M/s. Hiltop Marketing & Distributors, (P) Ltd, Gir-nar Complex, Kureshi Nagar, Kurla (East), Mumbai-400070.	1-4-1995
7.	MH/29930	M/s. Vikrant Engineers, W-19 M.I.D.C. Industrial Estate, Shiroli, Kolhapur-416122.	1-3-1995
8.	MH/38670	M/s. Maker Chambers-V, Premises Cooperative Society, Maker Chamber-V, Plot No. 221, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-2-1992

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, R.S. Kaushik, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provision of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of the each of the said establishments.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner.

No. C.P.F.C. 1(4) KR(1468)/96/1077-85—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishment namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	KR/12851	M/s. Vijay Enterprises, General Hospital Road, Thiruvananthapuram-695037.	1-2-1996
2.	KR/KC/13947	M/s. Chemical Transports., XII/65, P.H.E.D. Quarters Road, Alwaye, Ernakulam Dist.	1-5-1995
3.	KR/KK/14370	M/s. Rakesh Hospital, Quilandy-673305 Calicut District.	1-7-1995
4.	KR/12850	M/s. C.S. Constructions, Ashokalayam, Kunnukuzhy, Triruvanandapuram-695037.	1-1-1996
5.	KR/KK/14432	M/s. Hariprasad Deluxe, Valiyachaliyil House, Cholari, P.O. Velimukku, Mallappuram District.	1-10-1995
6.	KR/12794	M/s. Kairali Industries, Velliman P.O. Keralapuram, [illegible]	1-9-19 5.
7.	KR/KK/14296	M/s. Pathiniyad Service Co-operative Bank Ltd., No. F. 1465, P.O. Pathiri yad, (Via) Pinarayi.	1-4-1995
8.	KR/KK/14461	M/s. Kannankandy Sales Corporation, Mavoor Road, Calicut-673004.	1-12-1995

No, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL,
Regional Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai-400005, the 31st March 1997

No. UT/DBDM/SPDD-71-O/R-217/96-97.—Offer Document of the Monthly Income Plan 1997 formulated under section 19 (1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1997 made under section 21 of the said Act approved by the Executive Committee in the meeting held on 13th January, 1997 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

UNIT TRUST OF INDIA
MONTHLY INCOME PLAN 1997
OFFER DOCUMENT

Offer open from February 20, 1997 to April 05, 1997

The Monthly Income Plan 1997 has been formulated under section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1997 made under section 21, of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

The plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Matual Funds) Regulations, 1996, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

This is an income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing either regular income on a monthly basis or growth of investment over a period of 5 years.

HIGHLIGHTS

A five year close ended plan.

Open to resident and non resident adult individuals/mentally handicapped person/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Co-operative Societies/Bodies Corporate including Companies and Bank/Overseas Corporate Bodies (OCBs)/Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds.

The Trust shall pay a assured dividend@ 14% p.a. payable monthly (effective return 14.93%) for all the five years of the plan. The dividend will be paid through postdated monthly warrants. Depending on the earnings of the plan additional income could be paid on maturity.

Under the monthly income option, dividend warrants for the period upto March 1997 will be sent alongwith the membership advice/unit certificates. Thereafter dividend warrants will be sent in advance. For receiving full year's income distribution the investor should hold the units for a full year.

Under the capital growth option Rs. 2000/- will atleast become Rs. 4012/- on maturity.

Repurchase allowed from 1st May 2000 at NAV based repurchase price under both the options.

Scheme shall be listed on OTCEI within six months after closure of subscription.

It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be as per prevailing NAV.

There is scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.

Dividends and Repurchase/Redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully, repatriable, where the investment is made by remittances from abroad or by debit to the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.

Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of income Tax Act, 1961 on dividends and capital gains from capital appreciation.

Capital gains tax exemption U/S. 54EA.
Special attention of investors in invited to the highlights on income distribution, repurchase and listing indicated in the above paragraph.

RISK FACTORS

There is no guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will depend on the NAV.

Investments in units of the Plan are subject to market risk and the NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the plan's portfolio.

Performance of the previous schemes/plan is not necessarily an indication of future results.

Monthly Income Plan 1997 is only the name of the plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully befor they invest in the Plan.

Management's perception of Risk Factors

The Trust has been in operation for over 32 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 56,800 crores from over 48 million investors. Table indicating performance of thirty three Monthly Income Plans of the Trust launched till date is given on page number 19.

Constitution of UTI

Unit Trust India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profit and gains accuring to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It starter functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1. Shri G. P. Gupta	Chairman, Unit Trust of India
2. Dr. P. J. Nayak	Executive Trustee, Unit Trust of India
3. Shri R. V. Gupta	Deputy Governor, Reserve Bank of India
4. Shri S. H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of Indoa
5. Shri N. S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Dr. Arvind Virmani	Advisor, Policy Planning Govt. of India, Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance
7. Shri P. R. Khanna	Chartered Accountant
8. Shri N. M. Govardhan	Chairman, Life Insurance Corporation of India
9. Shri P. G. Kakodkar	Chairman, S.B.I.
10. Shri N. Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
11. Shri Rashid Jilani	Chairman & Managing Director, Punjab National Bank

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 [MIS '97]

1. Short Title and Commencement :

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Scheme 1997 [MIS '97] .

(2) The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st May 1997 to 30th April 2002.

(3) Units will be on sale from 20th February, 1997 to 05th April, 1997 for 45 days. Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of Units under the Scheme at any time in circumstance like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions :

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Units Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading on the OTCEI.

(g) "Member" used as an expression under the Scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(h) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(i) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(j) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units solid and remaining outstanding.

(k) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)", include overseas companies, partnership firm, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(l) "Person" shall include an eligible institution, as defined above.

(m) "Recognised stock exchange" means a stock Exchange which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (42 of 1956).

(n) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(o) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act.

(p) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(q) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(r) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the Over The Counter Exchange of India (OTCEI) after the first allotment of units.

(s) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(t) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(u) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(v) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations hall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(w) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa. The other provisions of the scheme are available from page No. 11 to page No. 15.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME PLAN 1997 [MIP'97] FORMULATED UNDER THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 [MIS'97] ARE GIVEN HEREAFTER.

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in the Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III Application for units :

(1) Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(a) individuals either singly or with two other individuals on joint basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other bodies corporate including companies formed under the Companies Act, 1956 and Banks.

(h) Hindu Undivided Family.

(i) Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds.

Non-Residents On fully repatriable basis by

(a) Non resident adult individuals either singly or with two other individuals on joint basis.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(c) Non-Resident HUF.

(d) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of Rs. 2000/- under both the options—Monthly & Capital Growth. There will be no maximum limit. For investments not in multiple of Rs. 10/-, units will be allotted in fractions upto three places after the decimal. In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and IT Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs. 100 crores is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust in full.

The Trust shall by A/C payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs. 100 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses :

Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expenses of the Scheme is estimated to be as under;

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marking	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees & Custodial Fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Total	2.25

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs. 100 crores of the average monthly net assets—2.25%.

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average monthly net assets—2.00%

(iii) On the next Rs. 300 crores of the average monthly net assets—1.75%.

(iv) On the balance of the assets—1.50%.

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year. UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations 1996.

VII. Mode of Payment

(1) (i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

Provided however, that the applicant who wishes to apply from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000/- less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan.

However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft; provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) Mode of Investment with repatriation benefits :

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency.

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is adviseable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits :

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units the funds so invested and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A.D. (M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/Tax consultants if they desire remittance of dividend on units.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

(b) Incompelte Application Liable For Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurcase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. Sale of Units :

The sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice/Unit Certificates (in marketable lots) at his option. A Membership Advice/Unit Certificate issued by the Trust to the elimible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice/Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Membership Advice/Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

IX. Repurchase of units :

(1) Repurchases under the plan will commence after three years from the date of commencement of the plan i.e. from 1st May, 2000 under both the options. There shall be no repurchase during the first three years of the Scheme and Plan made thereunder except for settlement of death claim cases. The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be issued to the press for publication six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01-11-1997 and on a quarterly basis thereafter till 30-04-2000. From 01-05-2000 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month.

On maturity of the scheme, it is guaranteed that the repurchase price will not be less than the par value of units i.e Rs. 10/-. However there is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price will depend on NAV.

Further, as a portion of the investments will be made in equalities, there is scope for capital appreciation.

(2) Monthly Income option

The Trust will offer to repurchase the units after three years from the date of commencement of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV and shall be issued to the press for publication after six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01-11-97 and on a quarterly basis thereafter till 30-04-2000. From 01-05-2000 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address/Unit Certificates duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 2000/- (face value). The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unencashed Income Distribution Warrants remaining outstanding subsequent to and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

In the event of repurchase in full the Trust shall not on accepting the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificates duly discharged be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance or future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unencashed Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice/unit certificates and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period including the month of acceptance. No interest shall be payable on the repurchase proceeds.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged by the Trust, and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount represented by such outstanding Income Distribution

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calender months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice/Unit Certificates, the request letter for repurchase and the unencashed Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distriution upto the date of settlement of the claim.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of application at the centre where the repurchase requests are processed.

No interest shall on any account be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realization of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) Capital Growth Option

The Trust shall in case of units issued under Capital Growth Option offer to repurchase the units after three years from the date of commencement of the scheme and the plan made thereunder i.e. from 1st May, 2000. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct

administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

Partial repurchase will be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 2000/- (face value).

(8) In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as follows :

(a) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad/by cheque/draft issued from proceeds of member's FCNR deposit or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the member) or can be sent to the member's relative in India for crediting the member's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can also be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the member.

(b) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the proceeds will be sent to the member's relative in India for crediting to the member's Non-Resident (Ordinary) Account.

X. Restrictions on repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed in connection with the annual closing of the books and accounts. Explanation : For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices ; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. Listing :

The units issued under the scheme shall be listed on OTCEI within six months from the date of closure of subscription. An application for listing shall be made to OTCEI immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

XII. Membership Advice Unit Certificate :

The Trust shall issue Membership Advice/Unit Certificates (in marketable lots) at the option of the member.

A unit certificate is transferable while a membership advice is not. Both are however equally valid evidence of admission of the investor into the plan. Investors may choose to receive either a membership advice or a unit certificate by ticking at the appropriate place in the application form. Generally investors who may wish to transact in the stock exchange on listing the scheme may opt for unit certificate. However if no preference is indicated in the application from the investor will be sent a membership advice.

The non resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of Membership Advice/Unit Certificates :

(a) At the applicant's Indian/Foreign address

OR

(b) At the applicant's relative's address in India.

XIII. Manner of preparation of Membership Advice and Unit Certificate :

The Membership Advice and Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust.

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIV. Exchange of Membership Advice/Unit Certificate and procedure when advice Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc :

Membership Advice

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the Plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

Unit Certificate

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof.

No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate,

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts ;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate, and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee Five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate.

Notwithstanding the above, the member under the scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XV Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members —

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter-alia :

(a) the names and adresses of the members;

(b) the number of the Membership is Advice/Unit Certificates and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge and in connection with his own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspaper or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVI. Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc. :

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section 2(A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc., an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XVII .Receipt by member to discharge Trust :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVIII Nomination by members :

(1) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines isssued by the RBI from time to time. Applicant can change the nomination at any time during the currency of the plan.

This facility is however not available to a transferee in the event of transfer of a unit.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

XIX. Death of a member :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor(s) shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Sucession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his titled as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee/legal heir is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee/legal heir, the nominee/legal heir may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permit to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice/unit Certificates in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a single member during the lock-in-period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

(8) In case of death of non-resident member(s) the repurchase proceeds of the units can be remitted to the non-resident nominee or legal heir(s) provided :

(a) units were bought out of funds remitted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FCNR deposits and

(b) the nominee continues to be residing outside India/the legal heir(s) reside outside India. Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the repurchase proceeds in case of non-resident nominee or legal heir(s) will not qualify for repatriation out of India. Cases of claims where nominee was resident at the time of nomination but subsequently became non resident have to be referred to RBI for mode of remittance of the proceeds.

XX. Income Distribution and capital growth option .

The member shall have the right to exercise an option to participate in the Monthly Income Option or the Capital Growth Option. This shall be done at the time of investment in the scheme and the option once exercised will be final. In the absence of any specific option being exercise by the applicant it shall be treated as Monthly Income Option.

The return assumed under the plan and the protection of capital invested on maturity are guaranteed by the Development Reserve Fund of the Trust.

The provisions of the scheme and the plan made thereunder will be applied to both the options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

(1) Monthly Income Option

Under this option, the Trust shall pay assured dividend @14% p.a. for the five years of the plan by means of post dated monthy warrants.

Based on the Investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay dividend @ 14% p.a. payable monthly under the plan.

(2) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants of any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income disturibution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month.

The entitlement of dividend will be as follows :

20-02-1997 to 28-02-1997—Half month's dividend

01-03-1997 to 15-03-1997—Full month's dividend

16-03-1997 to 31-03-1997—Half month's dividend

01-04-1997 to 05-04-1997—Full month's divident

(3) Depending upon the date of investment one Income Distribution Warrant for the period upto 31st March, 1997 (dated 31st March '97) will be sent alongwith the Membership advice/unit certificates. Another consolidated Income Distribution Warrant for the period April '97 to July '97 (dated 1st June, 1997) will be issued alongwith 8 postdated Income Distribution Warrants for the period August 1997 to March 1998 and sent separately.

The Income Distribution Warrants for the Subsequent years will be issued in the month of March/April every year depending upon changes in tax laws and sent in advance. The despatch of warrants for the subsequent years will be as per the following schedule :

Period & Despatch of warrants by

01-04-1998 to 31-03-1999—March-April 1998

01-04-1999 to 31-03-2000—March-April 1999

01-04-2000 to 31-03-2001—March-April 2000

01-04-2001 to 31-03-2002—March-April 2001

01-04-2002 to 30-04-2002—March-April 2002

The Income Distribution Warrant for the month of March will be dated 31st March every year.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance.

The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interst in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase, the member upon non-surrender of unencashed wararnts shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity of warrants and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the nominee/legal heir is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee/legal heir shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification.

However, such a nominee/legal heir desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or ay compensation during the period it takes the Trust to rectify, the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

In the event of death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) Capital Growth Option

No dividend will be distributed under this option. Returns will be cumulated at the rate of 14.93% p.a. such that Rs. 2000/- invested under the option will become atleast Rs. 4012/- at the time of redemption after five years. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @ 14% p.a. upto 30th April, 1997 to the extent applicable to members under the monthly income option by means of cheque which will be sent alongwith the unit certificates/membership advice.

An illustration to justify the return of 14% p.a. under the plan

Assume the scheme collects Rs. 100 crores. The initial expenses are 3% and are written off over a period of 3 years (this is because repurchase starts after 3 years). The investible funds available in the first year would be Rs. 97 crores.

The Fund will invest 90% in debt instruments and 10% in Equity and Money Market Instruments.

The scheme will invest in debentures/bonds with risk profile low to medium. The YTM on these instruments are in the range of 16.8% to 19.0%. This means the weighted average yield on debt instruments would be 17.75%.

The dividend yield, appreciation/depreciation on equity investment any yield on money market instruments will be around 8%.

Instrument	% of Portfolio	Investible funds	YTM (%)
Debentures/ Bonds	90	87.30	17.75
Equity/MMI	10	9.70	8.00

The Weighted average yield of the portfolio $= \frac{87.3*17.75+9.70*8.0=16.27\%}{100.00}$

Taking annual expenses as 1%, the income available for distribution would be 15.27%. This would be sufficient to pay dividend @14% p.a. payable monthly, annualised yield of 14.93%

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the plan.

Bank particulars of investors :

Electronic Clearing Service :

Recently Reserve Bank of India has introduced a new concept of Electronic Clearing Services (ECS) through the clearing house to obviate the need for issuing and handling paper instruments and thereby facilitate improved customer service. This is being introduced by the Trust mainly to help the small investors of the four Metros i.e. Calcutta/ Chennai/Mumbai/New Delhi, whose dividend income is less than Rs. 25,000/- vide one single instrument.

As per guidelines issued by RBI in this regard, the investor is required to give his mandate for ECS as per the format given in the application form with all the details completed therein. This will help the Trust to credit the dividend amount to investor's account with the concerned bank at the earliest and eliminate the work of printing and despatch of dividend warrants and serve him better. The bank branch will credit the member's account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of account. The applicant who desires to avail of this facility may fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch code no. etc. in the application form.

It is however no compulsory to avail of this facility.

In case the response to this facility is not sufficient enough to handle or for any other reasons, instead of paying dividend under "ECS", the Trust may pay the dividend by issue of dividend warrant as mentioned above.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/ misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account and account number, name of bank) at the appropriate space in the application from as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

Income Distribution to Non-Resident Indian investor

Dividend under the Plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of dividend is as follows :

(i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India or crediting the NRE/NRO account of the member.

OR

(ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for crediting his account.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 [MIS '97] CONTINUED

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at he closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of two months prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of two months prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted equity and preference shares including those under lock-in-period are valued at cost.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the unedrlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at he market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (4) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(7) Money Market instruments are taken at book value.

(8) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing interest rates.

(9) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

(10) Valuation of assets will be subject to change subject to directions issued by the Board of Trustees of UTI and SEBI from time to time.

IV. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the Scheme shall be determined separately for the Monthly Income Option and for the Capital Growth Option. The NAVs (on historic basis) shall be issued to the press for publication after six months from the commencement of the plan i.e. on 01-11-97 and on a monthly basis thereafter.

V. (a). Investment Objectives :

Investment objectives of the Scheme is to primarily provide regular monthly income to the subscriber and also to endeavour providing capital appreciation to the subscribed on maturity of the Scheme

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows :

(i) Atleast 80% of the funds will be invested in fixed income securities and money market investments. The risk of investment will be low to medium.

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments. The risk profile of equity investments could be high.

(iii) Investments in money market instruments will be consistent with the guidelines issued by SEBI, if any, in this regard from time to time.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment could be varied at the discretion of the fund manager depending on the market conditions/ the investment avenues available and the proportion of sales mobilised under the two options of the plan to the total sales under the plan. Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Transfer of investments from this scheme to another Scheme/plan of the Trust shall be done only if,

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate inter-scheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the scheme.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust on account of the scheme, wherever investments are intended to be of long term nature.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or divident to the members. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transcations of the plan as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high tech company offering fair transperant and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

(c) However, notwithstanding anything contained in respect of clauses III, IV and V (b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclousre would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/ Guidelines/ Directives issued by SEBI from time to time.

(d) Transfer of non-transferable assets to the plan :

Investors of Growing Monthly Income Unit Scheme 1992 [GMIS 92] and the New Seven Year Monthly Income Unit Scheme with Yearly Bonus and Growth 1990 [MISG 90] whose investments are maturing on 01-04-97 shall be allowed at their option to invest their redemption proceeds in this plan.

Notwithstanding anything contained in clause V (b) & (c), the scheme will hold nontransferable/unrated/unlisted assets whose unexpired life is shorter than the lock-in-period *viz.* 3 years to the extent funds are switched over to this plan and the quantum of such assets will in any case not exceed the funds that have been switched over into the plan.

Basis of transfer :

No non performing assets will be transferred to the plan.

Non-transferable/unquoted assets that may be transferred from the said schemes to this plan will be ascertained depending on the extent to which funds are switched over.

Valuation of Assets :

Non-transferable assets will be valued at cost as per the policy laid down by the Board of Trustees. The valuation of other assets will be as per clause III of the scheme.

VI. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membership Advice has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VII Transfer/Pledge/Assignment of Units :

Units issued under the Scheme are Transferable/Pledgeable/Assignable subject to the following terms :

(a) The unit certificate (and not membership advice) issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause III of the provisions of the plan.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding unit. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificates and unencashed warrants subsequent to and inclusive of the month of transfer (in case of monthly income option) and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the officers of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrars.

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificates and income distribution warrants (in case of monthly income option) to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue certificates and warrants.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provision contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate alongwith dividend warrants, if any to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) Contribution

0.25% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the concepual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme. Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

IX. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and Revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclousres to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XI. Additions and amendments to the scheme and the Plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained. When any change in the fundamental attributes of the scheme of fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the members is proposed to be carried out the consent of not less than three-fourths of the members shall be obtained :

Provided that no such change shall be carried out unless three fourths of the members have given their consent and who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes" means the invest objective, rate of dividend, repurchase facility and listing facilty.

XII. Termination of the Scheme and Plan made thereunder :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 30-04-2002, the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme beyond 5 years. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other schtme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of tht scheme i.e. on 30th April, 2002 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up; or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Members

(c) Where the Scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above ,the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall -

(i) cease to carry on any business activities in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme. Provided that a meeting shall not be necessary if the scheme is wound up at the end of the maturity period of the scheme.

(f) (i) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (e) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosure of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice/Unit Certificate, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(k) In case of non-resident investors, repurchase/maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below :

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India.

XIII. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final. The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XV. Scheme and Plan made thereunder to be binding on members :

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme at the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Approval of members of the plan shall be sought in the following circumstances :

(i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the members ; or

(ii) whenever required to do so on the requisition made by the three-fourths of the members of the plan ; or

(iii) when the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units ; or

(iv) when any change in the fundamental atributes detailed in clause XI of the scheme or fees and expenses payable or any other change which would modify the plan or affect the interest of the members is proposed to be carried out unless the consent of not less than three fourths of the members is obtained.

TAX GUIDE

Deduction of Tax at source

Residents

As per the present taxation laws the Trust under monthly income option is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual members under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source @ 15% from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Non-Residents

As per Finance Act, 1995, Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20% on income received by NRIs in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

As per circular No. 734 F. No. 500/4/96-FTD, dated 24th January, 1996 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue in order to avoid double taxation for Non-Resident members residing in UAE the tax will be deducted at source at a concessional rate of 15% where source of fund is NRO account.

No deduction of tax

Residents :

Member (not being a company or a firm), desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his /its estimated total income of the assessment year will be nil. The form prescribed for non-deduction of tax at source should be submitted alongwith application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrants, failing which tax will be deducted at source as per the prevalent tax laws.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Section 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10 (23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form

Non Residents :

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from Income tax.

In the above case UTI shall not deduct income tax at source irrespective of the amount of dividend.

Tax Concessions

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-residents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF by way of dividend) under all schemes of the Trust including "MIP '97" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital asets in MIP-97 will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase/transfer/pledge after three years from the date of allotment of the units.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trust investing in units will, therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/gift tax/capital gains tax, investments by NRIs/OCBs/FIIs are in conformity with the prevalent Income Tax Act, FERA and RBI's directions and permission.

Rights of Members :

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.

3. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai-400021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and otherdealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co. 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur-208 001 and M/s. Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor complaints

Complaints received redressed, and pending for the period 01-12-95 to 30-11-96 are given below ;

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
1	2	3	4	5
CCCF	2586	2354	232	8.97%
CGGF	18132	17360	772	4.26%
CGS-83	18486	18383	103	0.55%
CGUS-91	7561	7094	467	6.18%
CRTS	130	126	4	3.08%
DIUP-93	598	556	42	7.02%
DIUP-95	1132	1029	103	9.10%
DIUS-90	4255	4182	73	1.72%
DIUS-91	6304	6046	258	4.09%
DIUS-92	3554	3457	97	2.73%
E.O.F.	584	294	290	49.66%
IISFUS	5	5	0	0.00%
GCGI	8914	8258	656	7.36%
GRANDMASTER-93	1223	1152	71	5.81%
GMIS-91	11418	0773	645	5.65%
GMIS-92	4669	4205	464	9.94%
GMIS-92 (ii)	781	701	80	10.24%
GMIS-B-92	2327	2225	102	4.38%
GMIS-B-92 (ii)	6522	5992	530	8.13%
GRIHALAKSHMI U.P.-94	1545	1333	212	13.72%
HOUSING UNIT SCHEME	222	201	21	9.46%
MEP-91	6613	6392	221	3.34%
MEP-92	50344	49551	793	1.58%
MEP-93	50096	44365	5731	11.44%
MEP-94	14513	13454	1059	7.30%
MEP-95	42391	41503	888	2.09%
MEP-96	3704	3483	221	5.97%
MASTERGAIN-92	44454	41188	3266	7.35%
MASTERGROWTH-93	2552	2239	313	12.26%
MIP-93	3798	3271	527	13.88%
MIP-94 (i)	8275	6634	1641	19.83%
MIP-94 (ii)	6097	5827	270	4.43%
MIP-94 (iii)	12966	12058	908	7.00%
MIP-95	3528	3362	166	4.71%
MIP-95 (ii)	4578	3985	593	12.95%
MIP-95 (iii)	4070	3588	482	11.84%
MIP-96	2039	1924	115	5.64%
MIP-96 (ii)	1462	1020	442	30.23%
MIP-96 (iii)	746	465	281	37.67%
MIS-90 (i)	2754	2666	91	3.30%
MIS-90 (ii)	3468	3247	221	6.37%
MIS-B-93	7320	6991	329	4.49%
MISG-91	4098	3849	249	6.08%
MASTERPLUS-91	23707	23254	453	1.91%
MASTERSHARE-86	37949	35819	2130	5.61%
OMNI PLAN	42	24	18	42.86%
PEF	529	382	147	27.79%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	2744	2677	67	2.44%

RAJLAKSHMI U.P.	8045	7436	609	7.57%
SENIOR CITIZEN U.P.	1265	1146	119	9.41%
UGS-2000	43216	42178	1038	2.40%
UGS-5000	13730	12688	1042	7.59%
LIP	11615	10237	1378	11.86%
US-64	192941	174946	17995	9.33%
US-92	78087	17691	396	2.19%
US-95	1	1	0	0.00%
TOTAL	734688	685267	49421	6.73%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.
(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.
(3) Change of address of investor not informed/not updated.
(4) Loss in transit.
(5) Postal delay.
(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase
(7) Incomplete details while forwarding the complaints.
(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.
(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concersed Investors' Relation Cell at the following addresses

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investor's Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre,
G.D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005.
Tel : 2180172/2181600

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700.001
Tel : 243458.

SOUTHERN ZONE

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29 Rajaji Salai,
Chennai-600 001.
Tel : 517101 Ext. 360/364.

NORTHERN ZONE

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House,
2nd floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002
Tel. : 3329860

Registrars

UTI Investors' Service Limited have been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, transfer forms and repurchase requests, despatch of Membership Advice/Unit Certificates and dividend warrants within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from the four main branches of the Registrars :

West Zone : Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E) Mumbai-400059.

East Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, P B No. 60, Calcutta-700001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach, Chennai-600001

North Zone : Tej Building, 3rd Floor, 8, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT WOMEN's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreements with the custorians, registrars and collecting Banks.
* Copy of Offer Document of MIP97.

Table

Sr. No.	Plans	Annual Dividend Paid/ Payable Monthly	Capital Appreciation (%) on maturity Assured	Actual	Bonus (%) paid/ Payable
1	2	3	4	5	6
Schemes Matured					
1.	MIS-1	12% p.a.	—	6	—
2.	MIS-2	12% p.a.	—	7	—
3.	MIS-3	12% p.a.	—	8	—
4.	MIS-4	12% p.a.	—	8	—
5.	MIS-5	12% p.a.	—	10	—
6.	MIS-6	12% p.a.	2	5.5	1.5
7.	MIS-7	12% p.a.	2	6	1.5
8.	MIS-8	12% p.a.	2	7	1.5
9.	MIS-9	12% p.a.	2	9	1.75
10.	MIS-10	12% p.a.	2	9	2.00
11.	MIS-11	12% p.a.	2	11	2.25
12.	MIS-12	12% p.a.	2	28	2.25
13.	MIS-13	12% p.a.	2	40	3.00
Schemes in Operation					
14.	MISG'90	12% p.a.			.1% payable at the end of each year.

2	3	4	5	6
15. MISG'91(II)	13% p.a.			.2% declared at the end of 3rd year and add. 2% bonus declared at the end of 5th year
16. MISG'91	13% p.a.	—		.3% declared at the end of 3rd year, Addl. bonus dividend of 3% will be paid after 5th year.
Rolled over upto 31-12-2001.				
17. GMIS'91	14.5% p.a. for the first 3 years & 15% p.a. for the last 2 years	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option cumulation option	—	3.7% 1.7%
18. GMIS'92	Do.	Do.	—	—
19. GMIS' 92(II)	Do.	Do.	—	—
20. GMISB'92	Do.	Do.		2% bonus dividend declared & is payable on maturity.
21. GMISB' 92 (ii)	14% p.a. for the first 2 years and 14.5% p.a. will be for the last 3 years.	Do.		2% Bonus at the end of declared 3rd year and paid on maturity.
22. MISB'93	14% p.a.	Do.	—	Nil bonus declared at the end of 3rd year.
23. MIP'93	13.5% p.a.	Do.	—	Nil bonus declared at the end of 2nd year. Bonus may be declared at the end of 4th year and shall be payable on maturity.

1	2	3	4	5	6
24.	MIP'94	13% p.a. for the first 2 years i.e. upto Feb' 96 & @ 13.5% p.a. under the monthly income option & 14% p.a. under cumulative option for the period 1-3-96 to 28-2-98			
25.	MIP/94(II)	13% p.a. payable monthly for first 2 years 14% p.a. payable monthly for next 2 years.			
26.	MIP'94(III)	12% p.a. for the first year & 13% p.a. payable for the second year.*			
		13% p.a. for the period Ist Jan., '97 to 31st March, '97			
27.	MIP'95	13% p.a. for the first year* & 14% p.a. for the second year.			
28.	MIP'95(II)	13.5% p.a. for the first year & 14% p.a. for the second year*			
29.	MIP'95(III)	14% p.a. for the first year*			
		14% p.a. for the period Ist Jan., '97 to 31st March,' 97			
30.	MIP'96	14.5% p.a. for the first year*			
31.	MIP'96(II)	15% p.a. for the first year*			
32.	MIP'96(III)	15% p.a. for the first year*			
33.	MIP'96(IV)	15% p.a. for the first year*			

*Dividend rate for the subsequent years will be announced at/before the end of preceding years.

Details of Five Previous Monthly Income Plans of UTI

Plan	MIP' 95 (III)	MIP' 96	MIP' 96(II)	MIP' 96(III)	MIP' 96 (IV)
Date of Commencement	01-01-1996	01-05-1996	01-07-1996	01-10-1966	01-01-1997
Date of Termination	31.12-2000	30-04-2001	30-06-2001	30-09-2001	31-12-2001
Monthly Dividend	14% p.a. for the first year	14.5% p.a. for the first year	15% p.a. for the first year	15% p.a. for the firstfyear	15% p.a. for the first year
Cumulative Option					
Amount Collected	Rs. 374.39 Cr.	Rs. 197.65 Cr.	Rs. 364.54 Cr.	Rs. 377.24 Cr.	*Rs. 409.52 C
No. of Applications	138875	69501	142023	141540	155285

*as on 07-02-97

HISTORICAL DATA-MONTHLY

Historical Statistics	1993-94					
	MIS Pool	MISG 60 Pool	GMIS Pool	GMIS B 92 Pool	MIS B 93 Pool	MIP 94
1	2	3	4	5	6	7
(A) Net Assest. Value, per unit	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06
(B) Gross Income per unit broker up into:						
(i) Income other than profit on sale of investment per unit	5.421266	1.504720	1.781822	1.804875	1.407421	0.963319
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment per unit	3.260507	0	0.028271	0.169618	0.079926	0.13128
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	3.433548	0.02	0.399543	0.066076	0.15	0
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit						
(C) Aggregate of expenses write off, amortisation and charges, per unit	0.095869	0.035984	0.047014	0.052825	0.071594	0.057462
D) Net Income, per unit	5.326717	1.428555	1.910946	1.563694	0.974632	0.490911
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	—	0.801081	1.714409	0.998508	0.861535	0.043052
(F) Market price						
Highest						
Lowest						
Repurchase price						
Highest						
Lowest						
Sale price						
Highest						
Lowest						
PE Ratio						
(G) Per unit ratio of expenses to average net assets by percentage:						
(H) Per unit ratio of gross income to average net assest by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)						
(I) Per unit NAV						

INCOME SCHEMES

				1994—95				
MIP 94 (II)	MISG 90 Pool	GMIS Pool	GMIS B 92 Pool	MIS B 93 Pool	MIP 94	MIP 94(II)	MIP 94(III)	MIP 95
8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
1.11749768	1.449394	1.810378	1.809111	1.416091	0.969216	0.68955599	0.16591683	0.064031
0	0	0.028724	0.17	0.08	0.01	0.00	0.03	0.00
0	0.044492	0.083171	0.17	0.08	0.01	0.01	0.01	0.00
0.04579027	0.051319	0.063398	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
0.00608374	1.398076	1.746985	1.74	1.36	0.90	0.61	0.10	0.05
0.09114113	0.275042	0.998682	0.05	0.27	—	—	—	—

HISTORICAL DATA —

1995-

	Historical Statistics	MISG 90 Pool	GMIS Pool	GMISB 92 Pool	MISB 93 Pool
	1	2	3	4	5
(A)	Net Assets Value, per unit	10.89	13.95	12.57	11.44
(B)	Gross income per unit broken up into:				
	(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.165477	2,295874	1,866833	1,498960
	(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit	0.00	0.05	0.10	0.02
	(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.06	0.55	0.22	0.05
	(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit	—	—	—	—
(C)	Aggregate of expenses, with off' amortisation and charges, per unit	0.05	0.07	0.07	0.07
(D)	Net income, per unit	1.42	2.22	1.79	1.43
(E)	Unrealised appreciation/depreciation in value of investment, per unit	0.26	0.72	0.41	0.40
(F)	Market price				
	Highest	—	—	—	—
	Lowest	—	—	—	—
	Repurchase Price				
	Highest	—	—	—	—
	Lowest	—	—	—	—
	Sale Price				
	Highest	—	—	—	—
	Lowest	—	—	—	—
	PE Ratio				
(G)	Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage:	—	—	—	—
(H)	Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised' appreciation on investments)	—	—	—	—
(I)	Per unit NAV				

MONTHLY INCOME SCHEMES

MIP 94	MIP 94 (II)	MIP 94 (III)	MIP 95	MIP 95 (II)	MIP 95 (III)	MIP 96	MIP 96(II)
6	7	8	9	10	11	12	3
10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.89	10.29	9.6
1,701351	1,22733593	1,24532264	1,398455	1,30344270	0,85468386	0,281579	0,04693461
0.11	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
0.19	0.07	0.03	0.02	0.11	0.03	0.01	0.00
—	—	—	—	—	—	—	—
0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
1.71	1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
—	—	—	0.06	0.55	0.82	0.43	0.07

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400 020. Tel: 2068468.

ZONAL OFFICES

Western Zone: Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel: 2181600/2181254. **Eastern Zone:** 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel: 2209391/2205322. **Southern Zone:** UTI House 29, Rajaji Salai Madras-600 001. Tel: 517101. **Northern Zone:** Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel: 3329860/3329858.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE

MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel: 218 1600/212 0057

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad: B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Floor, Ashram Road, Ahmedabad-380 009. Tel; 6423043. **Baroda:** 'Meghdhanush' 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel: 332481. **Bhopal:** Ganga Jamuna Commercial Complex, 1st Floor, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone I, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462011. Tel: 558308. **Mumbai:** (1) Unit No. 2, Block 'B' Opp. JVPD Shopping Centre, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel: 6201995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, New Mumbai-400703. Tel: 7672607. (3) Lotus Court buildiug, 196, Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Mumbai-400020. Tel : 2850821/822 (For Mumbai Main Branch). (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S.V. Road, Borivli (West), Mumbai-400092. Tel: 8020521. (5) Sagar Bonanza, Ist Floor, Khot Lane, Ghatkopar (West), Mumbai-400 086. Tel; 5162256. **Indore:** City Centre, 2nd Floor, 570, M.G. Road, Indore-452 001. Tel: 22796. **Kolhapur:** Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001 Tel: 657315. **Nagpur:** Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, (Kingsway), Nagpur-440 001, Tel: 536893. **Nasik: Sarda** Sankul, 2nd Floor, M.G. Road, Nasik-422 001. Tel: 572166. **Panaji:** E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Road, Panaji, Goa-403001. Tel: 222472. **Pune:** Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel: 325954. **Rajkot:** Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Road, Rajkot-360 001. Tel: 35112. **Surat Saifee Bldg.,** Dutch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel: 34550. **Thane:** UTI House, Near Thane P.O., Station Road, Thane (W)-400601, Tel: 5400905.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra: Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Road, Agra 282 002. Tel: 54408 **Allahabad:** Unites Towers, 3rd Floor, 53, Leader Road, Allahabad 211 003. Tel: 50521. **Amritsar:** Shri Dwarkadeesh Complex, 2nd Floor, Queen's Road, Amritsar 143001. **Chandigarh:** Jeevan Prakash, LIC Building Sector 17-B, Chandigarh 160 017, Tel: 543683. **Dehradun:** 2nd Floor, 9/5, Rajpur Road, Dehradun-248 001 Tel: 26720. **Faridabad:** B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad 121 001. **Ghaziabad:** 41 Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad 201 001. **Jaipur:** Anand Bhavan (3rd ffoor), Sansar Chandra Road, Jaipur 302 001. Tel: 365212. **Kanpur:** 16/79-E Civil Lines Kanpur 208001. Tel: 317278. **Lucknow:** Regency, Plaza Building, 5, Park Road, Lucknow 226 001. Tel: 232501. **Ludhiana:** Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana 141 001. Tel: 400373. **New Delhi:** Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd ffoor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel: 3318638/3319786. **Shimla:** 3, Mall Road, 1st Floor (above Jankidas & Co. Dept. Store) Shimla 171 000 Tel: 4203 **Varanasi:** 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi 221 001. Tel.: 54306/54262/54272.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore: World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Road, Bangalore 560 009. Tel: 2263739. **Cochin:** Jeevan Prakash, 5th Floor, M.G. Road, Ernakulam, Cochin 682 011. Tel. 362354. **Coimbatore:** Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Road, Coimbatore 641 018. Tel: 214973. **Hubli:** Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Road, Hubli 580 020. Tel: 363963. **Hyderabad:** 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad 500 001. Tel: 511095. **Madras:** UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras 600 001. Tel: 517101/513695. **Madurai:** Tamil Nadu Sarvodya Sangh Bldg., 108, Thirupparankundram Road, Madurai 625 001. Tel: 38186. **Mangalore:** Siddharth Bldg., Ist Floor, Balmatta Road, Mangalore, 575001. Tel.: 426258. **Thiruvananthapuram:** Swastik Centre,

3rd Floor M. R. Road, Thiruvauanthapuram 695001 Tel: 331415. **Trichy:** 104 Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli 620003. Tel: 27060. **Trichur:** 28/876/77 West Pallithamam Building, Karunakaran Nambiar Road, North, Trichur 680 020. Tel: 331259. **vijayawada:** 27-37-156, Bunder Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada 520 002. Tel: 74434. **Vishakhapatnam:** Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Road, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel: 548121.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar: Asha Niwas, 246, Lewis Road Bhubaneshwar 751 014. Tel. 56141, **Calcutta** 2 & 4, Fairlie Palace, Calcutta-700 001. Tel: 2209391/ 2205322. **Durgapur:** 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Anansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur 713 216, Tel: 4831. **Guwahati:** Jeevan Deep, M.L.Nehru Road, Panbazar, Guwahati -81 001. Tel; 543131 **Jamshedpur:** 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd floor, Bistupur, Jamshedpur 831001. Tel. 425508. **Patna:** Jeevan Deep Building, Ground and 5th Floor, Exhibition Road, Patna-800 001 Tel: 235001. **Siliguri:** Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri 734 401. Tel: 24671.

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 31st March 1997

MUMBAI

No. UT/DBDM/SPD-184/R-216/96-97.—The amendment to the provisions of Housing Unit Scheme 1992 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by Executive Committee in the meeting held on 12th March, 1997 is published herebelow.

A. G. JOSHI,
General Manager
Business Development & Marketing

ANNEXURE

The following is inserted as a new Clause VII B titled "Switch over option" in the provisions of the scheme.

Notwithstandnig anything contained in the provisions hereof, the Trust may at its discretion at any time during the currency of the scheme/on termination of the scheme permit the unitholders of this schme to switch over to another scheme/plan launched or in operation at that time at price(s) in such form and manner and subject to such terms and conditions as may be decided and announced by the Trust.

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATOIN

New Delhi-110 002, the 19th March 1997

No. F. 28-3/96-NCTE.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) clause(d) of sub-section(2) of Section 32 read with clause(e) of Section 12 of National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following Regulations to amend the NCTE (Guidelines for B.Ed through Correspondence for regular serving teachers) Regulations, 1996 issued vide F28-3/96-NCTE dated June 14, 1996.

1. These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Guidelines for B.Ed through Correspondence for regular serving teachers) Amendment Regulations, 1997.

2. They shall come into force with immediate effect.

3. The Annexure to the National Council for Teacher Education (Guidelines for B.Ed. through Correcpondence for regulation serving teachers) Regulations, 1996 shall be substituted by the enclosed Annexure, which modifies the guidelines in the manner indicated below :-

(i) Phrase 'Distance Education' has been added to the heading.

(ii) Sub-heading 'Eligibility Criteria' and 'Entry Qualifications' have been mutually exchanged resulting in the contents being interchanged.

(iii) In 'eligibility criteria' :

(a) the pharse 'above defined' has been added before the word 'juridiction'.

(b) the pharse 'of the university' has been omitted.

(c) the term 'with has been substituted by the pharse' and having a'.

(iv) In 'Programme components :

(a) the word 'NCTE' has been added after the word 'UGC' (while dealing with self-learning material).

(b) the word 'application' has been substituted by the word 'practical' while dealing with examination.

SURENDRA SINGH,
Member Secretary

ANNEXURE

GUIDELINES FOR B.ED THROUGH CORRESPONDENCE/DISTANCE EDUCATION FOR IN-SERVICE TEACHERS

(a) Course Title-B.Ed Distance Education Mode for Secondary Teachers.

(b) Juridiction-Each University will admit only those candidates who are currently working in school systems located in the territorial juridiction assigned to it by the Act/State Government.

(c) Entry Qualifications—Entry Qualifications for admission in terms of marks at graduation or other levels will be the same as prescribed by the State Government for recruitment of teachers, or precribed for entry to regular teacher education programs. The admissions will be made after a written entrance examination.

(d) Number of State—No University will admit more than 500 candidates in a given academic year.

(e) Duration—24 months for B.Ed courses : exclusive of the time taken for formalities of entrance test, admissions, etc.

(f) Tuition Fee—Same as applicable to other B.Ed candidates of the University. However, extra charges may be levied on the students to cover the cost of print material, audio-visual packages postage, library service etc.

(g) Eligibility Criteria—Only those regular teachers serving in recognize schools (primary secondary and higher secondary levels) within the above defined juridiction and having a minimum of three years of teaching experience.

(h) Staff Structure—For every 500 students there will be ten full time core factulty, and additional ten strong part-time faculty. The regular full time core faculty will be appointed by following all the conditions prescribed for recruitment by the UGC/NCTE/State/University. Part faculty will also have similar qualifications, and none beyond 65 years of age will be associated as part-time faculty members.

PROGRAM COMPONENTS

(i) Adequate amount of self-learning printed course-material in distance education format. Sample basis evaluation of the printed materials to be conducted by Committees to be set up by UGC/NCTE.

(j) Provision for audio and video packages in consultation with the UGC media centres, CIET and NCTE.

(k) Regular assignments which are fully evaluated within stipulated time. There would be one assignment per semester, and in each of the pepers/courses.

(l) An Intership of 4 weeks duration, during which the teacher trainees deliver at least 40 lessons, in the school they are serving, 10 of which will be supervised by the regular teacher educators of training institute/University departments.

(m) Twelve weeks, i.e. 72 days of compulsory contact programs of at least 6 hours per day. This will be conducted by eligible teacher educators from the university departments/ training colleges and none else. During this period, the candidates will be interviewed by experts to see the extent up to which they have mastered teaching skills during intership. No contact class will consist of more than 50 teacher trainees in one group.

(n) Examinations will be conducted on specified days, other than the period assigned to the contact programs. Minimum of 80 percent attendance in contact/practical programs would be necessary. Any relaxation in attendance, not exceeding 20 percent could be given only in exceptional cases and not as a general rule.

SURENDRA SINGH,
Member Secretary

CANTONMENT BOARD ALLAHABAD

CANTONMENT

Allahabad, the May 1997

No. S.R.O. No. T-51/2.—Whereas a draft public notice regarding the imposition of Water Tax within the limits of Allahabad Contonment was published on 05-10-1996 in the Local newspapers vide the Cantonment Boards Notice No. T-51/2 dated 04-10-96 as required by section 61 read with section 255 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas the said notice was put on the Notice Board of the Allahabad Cantonment on the 04th October 1996;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in the exersice of the powers conferred by section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Allahabad with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes a tax be known as the Water Tax on all lands and buildings within the limits of Allahabad Contonment, at the rate of 14% of the annual value of lands and buildings :

Provided that the said Water Tax shall not be levied on lands and building owned by the Central Government and the Cantonment Board.

(File No. 53/5/C/DE/94)

A. V. DHARMA REDDY,
Cantt : Executive Officer, Allahabad

Foot Note :

The Cantonment Board with the previous sanction of the Central Government imposed the Water tax on all lands and buildings within the limits of Allahabad Cofitonments at the following rates :—

(a) 12% on the annual value of lands and buildings which have separate service for a domestic water supply.

(b) 10% on the annual value of lands and buildings situated within 310 meter of public water stand post and having no seprate service for domestic supply.

This was published in the Gazette of India, Part III Section-4 dated 17-8-85 vide S.R.O. No. T-51/2/1223 dated 31-7-85.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997